VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

मार्च - मई 2024

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 18 OCT, 5 PM
GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 12 NOV, 6 PM
BENGALURU: 5 DEC | JAIPUR: 16 DEC | HYDERABAD: 16 OCT | JODHPUR: 3 OCT
LUCKNOW: 5 DEC | BHOPAL: 5 DEC | ADMISSION OPEN AHMEDABAD | CHANDIGARH | PUNE

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 20 नवंबर, 8 AM | JAIPUR: 16 दिसंबर | JODHPUR: 3 अक्टूबर | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

हम अपनी नई पहल, **"त्रैमासिक रिवीजन"** डॉक्यूमेंट जारी कर चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य **निरंतर सीखने की प्रक्रिया** को और बढ़ावा देना है।

इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से तैयार किया गया है कि अभ्यर्थी **कम समय में रिवीजन** कर सकेंगे और उसे याद भी रख सकेंगे, **ताकि परीक्षा की अंतिम घड़ी के दौरान तनाव कम रहे।**

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है:

- **सुर्ख़ियों में रही योजनाएं:** इस भाग में कमोबेश पिछली तिमाही के दौरान सुर्ख़ियों में रही योजनाओं को शामिल किया गया है।
- **सुर्ख़ियों में रही फ्लैगशिप योजनाएं:** इस भाग में सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण भारत सरकार की "फ्लैगशिप योजनाओं" को शामिल किया गया है।
- **प्रश्नोत्तरी:** अपनी तैयारी और टॉपिक की समझ का परीक्षण करने के लिए दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास कीजिए।

आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है और हमें उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट आपके लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विषय-सूची

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

1.1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1.1.1. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)} **5**

1.1.2. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम {National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)} **7**

1.1.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY) **8**

1.1.4. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN) **12**

1.1.5. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CLUSTER DEVELOPMENT PROGRAMME: CDP)-सुरक्षा/ SURAKSHA **13**

1.2. रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemical and Fertilizers)

1.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana: PM-BJP) **16**

1.2.2. फार्मास्युटिकल्स उद्योग को मजबूत बनाना (SPI) योजना {Strengthening of Pharmaceuticals Industry (SPI) Scheme} **17**

1.3. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry)

1.3.1. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) {Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme, 2024 (UNNATI 2024)} **20**

1.3.2. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना {Remission Of Duties And Taxes On Exported Products (RoDTEP) Scheme} **21**

1.4. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

1.4.1. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना {ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) Scheme} **23**

1.5. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

1.5.1. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन योजना (Electric Mobility Promotion Scheme: EMPS 2024) **26**

1.6. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy)

1.6.1. पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) **28**

1.6.2. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) {National Green Hydrogen Mission (NGHM)} **30**

1.7. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

1.7.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) {Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)} **33**

1.8. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

1.8.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005) **35**

1.9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

1.9.1. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojna: PM-AJAY) **38**

2. केंद्र सरकार की मुख्य (फ्लैगशिप) योजनाएं (FLAGSHIP SCHEMES IN FOCUS)

2.1. पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) **41**

2.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM) **42**

3. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए **46**

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

1.1 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1.1.1. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}

संदर्भ

देशभर में ग्राहकों को ऑनलाइन उपज बेचने के लिए 5,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पोर्टल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सदस्यों के लिए **इकोनॉमी ऑफ़ स्केल और बाजार पहुंच** में सुधार करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लाभार्थी: FPOs के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी (IAs):** 9 कार्यान्वयन एजेंसियां, FPOs का गठन करने में मदद करेंगी।

अन्य उद्देश्य

- **वर्ष** 2027-28 तक **10,000 नए FPOs का गठन और संवर्धन** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- FPO एक सामान्य नाम है। FPOs में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां (Farmer Producer Companies: FPCs) तथा राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं।
    - इनका गठन **कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के उत्पादन व विपणन** लागत में आनुपातिक रूप से बचत करते हुए **सामूहिक लाभ** के उद्देश्य से किया जाता है।

- **दृष्टिकोण:** FPO का गठन और संवर्धन **उपज क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण** तथा **विशेषीकृत जिंस आधारित दृष्टिकोण** पर आधारित है।
  - क्लस्टर-आधारित एप्रोच को अपनाते हुए, FPO का गठन उत्पाद विशेषीकरण के विकास के लिए **"एक जिला एक उत्पाद"** पर ध्यान देना।
- **FPOs को वित्तीय सहायता:** FPOs को निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा:
  - FPOs को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO **18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।
  - 15 लाख रुपये प्रति FPO की सीमा के साथ FPO के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक के समतुल्य इक्विटी अनुदान सहायता का उल्लेख भी किया गया है।
  - FPOs की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति **FPO 2 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण का भी प्रावधान** किया गया है।
- **FPOs को आरंभिक समर्थन प्रदान करना**
  - FPOs (किसान उत्पादक संगठनों) का गठन और संवर्धन **कार्यान्वयन एजेंसियों** के माध्यम से किया जाता है। ये एजेंसियां आगे **क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (CBBOs) को शामिल** करती हैं, ताकि FPOs का गठन किया जा सके और उन्हें **5 साल की अवधि के लिए पेशेवर मार्गदर्शन एवं सहायता** प्रदान की जा सके।
- **बेहतर मूल्य प्राप्ति:**
  - इसके अलावा, FPOs को **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म** से जोड़ा जाता है, जो पारदर्शी पद्धति से उत्पाद के मूल्य निर्धारण के द्वारा कृषि उत्पादों की ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। इससे FPOs को उनकी उपज के लिए अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त हो पाता है।
- **FPOs का प्रशिक्षण और कौशल विकास:** FPOs की क्षमता के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में चुने गए प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं:
  - **बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (BIRD),** लखनऊ
  - **लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी** (LINAC), गुरुग्राम।
- **संस्थागत ढांचा**
  - **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (NPMA):** यह समग्र परियोजना के मार्गदर्शन, समन्वय, FPOs से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है।
  - **जिला स्तरीय निगरानी समिति (D-MC):** जिले में योजना के कार्यान्वयन का समग्र समन्वय और निगरानी करेगी। यह जिला कलेक्टर/ CEO/ जिला परिषद की अध्यक्षता में होगी।
- **ONDC के बारे में:**
  - ONDC का लक्ष्य एक ऐसी एकीकृत **डिजिटल कॉमर्स अवसंरचना** तैयार करना है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को अलग-अलग प्लेटफार्म्स से जोड़े।
  - ONDC वाणिज्य मंत्रालय के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** की एक पहल है।
  - ONDC **डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, बिजनेस-टू-बिजनेस और बिजनेस-टू-कंज्यूमर लेन-देन** आदि तक सीधी पहुंच प्रदान करके FPOs को सशक्त बना रहा है।

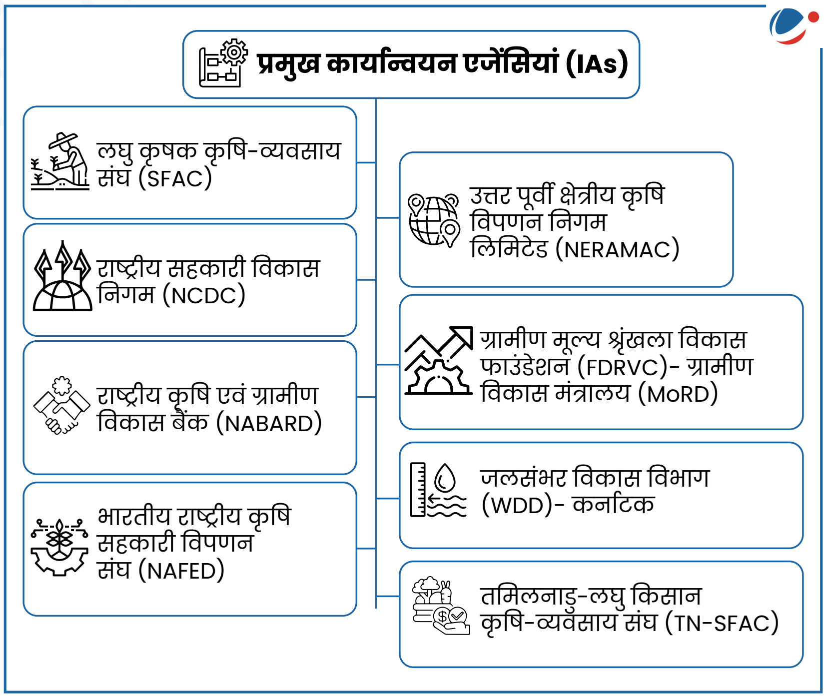

- **योजना से संबंधित मुख्य मुद्दे**
  - **महिला किसानों की उपेक्षा:** इसमें इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि गठित किए जाने वाले महिला FPOs की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा, न ही मिश्रित FPO में महिला शेयरधारकों की न्यूनतम संख्या का कोई उल्लेख किया गया है।
  - **CBBOs से जुड़ी चुनौतियां:** क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (CBBOs) को FPOs आवंटित करने में असमानता देखी गई है। साथ ही, CBBOs से जुड़ी वित्त-पोषण की सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं।

- **FPOs का पंजीकरण:** लघु और सीमांत किसानों की FPOs में अपनी शेयर पूंजी का भुगतान करने की असमर्थता तथा साथ ही, KYC आवश्यकताओं आदि के कारण पंजीकरण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **अन्य मुद्दे:** किसानों को संगठित करने में कठिनाई और देरी, FPOs की सीमित संगठनात्मक एवं प्रबंधन क्षमता आदि।

FPOs में शामिल होने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और FPOs के सदस्यों का कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए **समय-समय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समुचित वित्तीय सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।

1.1.2. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम {National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)}

संदर्भ

NMEO-OP के तहत अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** खाद्य तेलों पर **आयात बोझ को कम** करना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र:** पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।
- **अवधि: वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक।**

अन्य उद्देश्य

- **पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग** करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना।
- रोपण सामग्री और व्यवहार्यता अंतराल भुगतान में सहायता के स्तर पर किसानों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना।
- इसमें शामिल निजी भागीदारों से पुनर्खरीद का आश्वासन।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** NMEO-OP मिशन **2021 में शुरू** किया गया था और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के ऑयल पाम विकास कार्यक्रम (NFSM-ऑयल पाम प्रोग्राम) को इस योजना के तहत शामिल किया गया था।

ऑयल पाम के बारे में

- ऑयल पाम की उत्पत्ति **पश्चिम अफ्रीका** से हुई है और इसकी **प्रति हेक्टेयर वनस्पति तेल उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है।**
- इसके तहत दो अलग-अलग ऑयल का उत्पादन किया जाता है, अर्थात् **पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल,** जिनका उपयोग पाककला और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- भारत कुल खाद्य तेल का **57% आयात** करता है।

- **लक्ष्य**
  - **2025-26 तक:**
    - अतिरिक्त **6.50 लाख हेक्टेयर** (सामान्य राज्य के लिए 3.22 लाख हेक्टेयर और **पूर्वोत्तर राज्यों** में **3.28 लाख हेक्टेयर**) जोड़कर पाम ऑयल का क्षेत्रफल **10 लाख** हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा।
    - क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन में **11.20 लाख टन** तक की बढ़ोतरी।
  - उपभोक्ता की जागरूकता में वृद्धि द्वारा **19.00 किग्रा/व्यक्ति/वर्ष का उपभोग स्तर** बनाए रखना।
- **दो प्रमुख फोकस क्षेत्र:**
  - **मूल्य आश्वासन:** पहली बार, भारत सरकार पाम ऑयल किसानों को ताजे फलों के गुच्छों के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान करेगी। इसे **व्यावहार्यता मूल्य (Viability Price: VP)** के रूप में जाना जाएगा। ध्यातव्य है कि इन्हीं फलों के गुच्छों से तेल निकाला जाता है।
    - यह किसानों को **अंतर्राष्ट्रीय कच्चे पाम ऑयल की कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाएगा** और उन्हें मूल्य अस्थिरता से सुरक्षित रखेगा।
  - **इनपुट/ उपायों में सहायता में वृद्धि:** रोपण सामग्री, फसल तैयार होने के **4 वर्ष तक इंटर-क्रॉपिंग के लिए इनपुट और रखरखाव, सीड गार्डन्स की स्थापना, नर्सरी, बोरवेल/ पंप सेट/ जल संचयन संरचना** आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- **वित्तीय सहायता:** VGP लाभ के अलावा, NMEO-OP किसानों को रोपण सामग्री और प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर **70,000 रुपये की विशेष सहायता** भी प्रदान करता है।
  - यह मिशन, पाम ऑयल की खेती के लिए **किसानों को कटाई के उपकरण खरीदने के लिए 2,90,000 रुपये तथा कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये की सहायता** भी प्रदान कर रहा है।
- **दक्ष जल प्रबंधन:** ऑयल पाम में **सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण** को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- **खेती के लिए क्षेत्र: ICAR - भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (IIOPR)** 2020 ने ऑयल पाम की खेती के लिए लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षमता का आकलन किया है।
- **योजना की वर्तमान स्थिति:** यह योजना वर्तमान में देश भर के 15 राज्यों में संचालित है। इस योजना अंतर्गत 21.75 लाख हेक्टेयर संभावित क्षेत्र शामिल है।

योजना से जुड़ी मुख्य समस्याएं:

- **अपेक्षित प्रगति का अभाव:** विशेष रूप से पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों (तेलंगाना व आंध्र प्रदेश को छोड़कर) में नर्सरी की स्थापना तथा फसल तैयार होने में अधिक समय लगने जैसे कारणों से योजना की दिशा में धीमी प्रगति हुई है।
- **पाम ऑयल की खेती से जुड़ी समस्याएं:** पाम ऑयल के उत्पादन में काफी समय लगता है। पाम की खेती की शुरुआत से स्थानीय जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, जंगलों और जमीनों को साफ करने से आदिवासी अधिकारों पर भी असर पड़ सकता है।

सरकार को प्रत्येक छह महीने पर इस मिशन की **प्रगति की समीक्षा करने** और किसी भी आवश्यक सुधार की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। पाम ऑयल उत्पादन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और दक्षता के लिए **रोबोटिक समाधान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, **बुंदेलखंड और सिंधु-गंगा के मैदान में तिलहन विकास के माध्यम से तिलहन कृषि क्षेत्रों को बनाए रखने व उनमें विविधता लाने** के प्रयास किए जाने चाहिए।

1.1.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

संदर्भ

वित्त वर्ष 2023-24 में PMFBY के तहत नामांकन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि दर्ज की गई है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक** व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
- **प्रकार:** यह **एक केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **प्रकृति:** यह योजना कर्जदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी।
- **लाभार्थी: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदारों / काश्तकार किसानों सहित सभी किसान।**

अन्य उद्देश्य

- अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि/ क्षति से पीड़ित **किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना**
- **नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: PMFBY राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित NAIS** योजनाओं को प्रतिस्थापित करेगा।
  - **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** अभी भी जारी है।
    - RWBCIS, **फसल की पैदावार के लिए "प्रॉक्सी" के रूप में मौसम के मापदंडों का उपयोग** करता है, ताकि किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके।
- **रबी और खरीफ के अंतर्गत आने वाली फसलें:** सभी अनाज, मिलेट्स, दालें और तिलहन।
- प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर (APR) के रूप में (जो भी कम हो)** किया जाता है।
  - **APR बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।**
- **किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर:**

- **फसलों की बीमित राशि:**
  - **MSP वाली फसलें:** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर पर मूल्य का चयन** कर सकते हैं।
  - **बिना MSP वाली फसलें:** जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर) ही स्वीकार किया जाएगा।
- **जोखिम का कवरेज और अपवर्जन**
  - कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी/ मौसम स्थितियों के कारण **बुवाई/ रोपण/ अंकुरण में देरी से जुड़े जोखिम।**

- **खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक):** रोकथाम नहीं किए जा सकने योग्य जोखिमों, जैसे-सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन आदि के कारण उपज हानि के लिए बीमा कवर।
- **फसल कटाई के बाद नुकसान: ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा** और बेमौसम वर्षा जैसे विशिष्ट खतरों के लिए बीमा कवरेज केवल **फसल कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि तक उपलब्ध** है। साथ ही, यह केवल उन फसलों के लिए ही उपलब्ध है, जिन्हें कटाई के बाद खेत में कटी हुई और फैली हुई/ छोटे बंडलों के रूप में सुखाने की आवश्यकता होती है।
- **स्थानीय आपदाएं:** ओला-वृष्टि, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं के घटित होने से नुकसान/ क्षति।
- **अतिरिक्त कवरेज (Add-On Coverage):** (राज्यों के विवेक पर): बुवाई / रोपण / अंकुरण जोखिम आदि के लिए कवरेज।

- **सामान्य अपवर्जन (General Exclusions):** युद्ध और नाभिकीय जोखिमों, दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य निवारण करने योग्य जोखिमों से होने वाली हानियों को योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

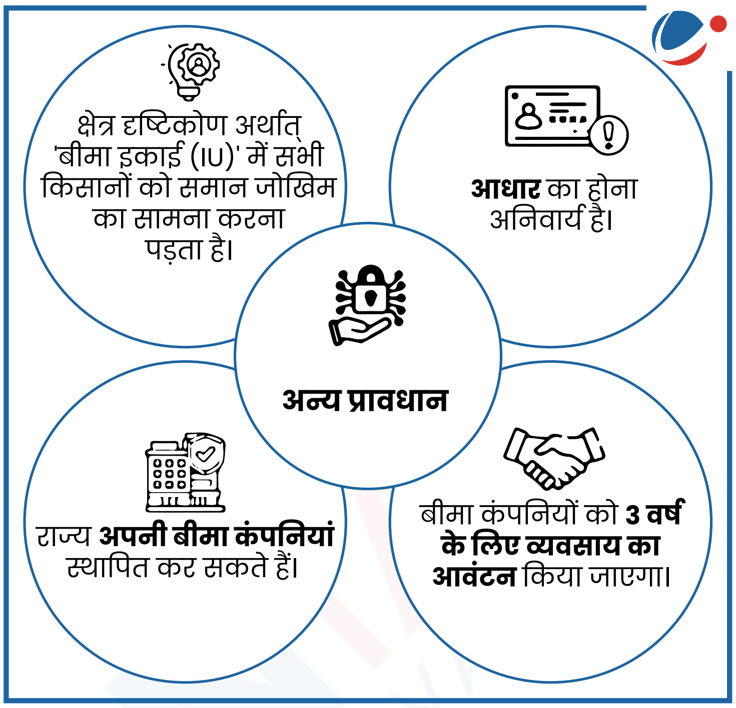

कवरेज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- बोली प्रक्रिया के जरिए **बीमा कंपनियों के चयन के लिए अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है;**
- **तीन वैकल्पिक जोखिम मॉडल्स को शामिल किया गया है:** लाभ और हानि साझाकरण, कप एंड कैप (60-130), कप एंड कैप (80-110)। इसके तहत **यदि कोई दावा नहीं किया जाता है, तो राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के राजकोष में चला जाएगा।**
- **CROPIC:** फसलों के रियल टाइम पर्यवेक्षण और फोटो का संग्रह।

PMFBY के तहत शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें

- **डिजीक्लेम:** डिजीक्लेम के तहत सभी दावों का बीमा कंपनी की बजाय **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के जरिए आंकलन** किया जाता है। इसके बाद **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** का उपयोग करके **किसानों के खातों में भुगतान** किया जाता है। इसकी निगरानी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।
- **मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम्स (WINDS) पोर्टल:** यह एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म है। यह तालुका/ ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित **मौसम स्टेशंस एवं रेन गेजस द्वारा एकत्र किए गए अति स्थानीय मौसम संबंधी डेटा को होस्ट, मैनेज व प्रोसेस** करता है। यह पोर्टल फसल बीमा में जोखिम आंकलन व निर्णय निर्माण में सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) मैनुअल**
- **फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो-मेटेरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्सर्वेशंस (FASAL) परियोजना** शुरू की गई है।
- **कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA):** इसे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के जरिए कृषि से संबंधित जानकारी तक समय पर पहुंच हेतु आरंभ किया गया है।
- **राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS):** इसे कृषि सूखे के आकलन के लिए शुरू किया गया है।

योजना से जुड़ी मुख्य समस्याएं:

- **निपटान में देरी:** राज्य सरकारों द्वारा उपज डेटा और प्रीमियम सब्सिडी को देर से जारी करने तथा बीमा कंपनियों व राज्यों के बीच उपज से संबंधित विवाद जैसे कारकों के कारण देरी हो सकती है।
- **किसानों में जागरूकता की कमी**

उपर्युक्त समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- **बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान के लिए समय-सीमा** को लागू करना,
- सभी राज्यों द्वारा उपग्रह डेटा या ड्रोन के उपयोग जैसे तकनीकी उपायों का उपयोग करके **स्मार्ट नमूनाकरण तकनीकों** को अपनाना,
- किसानों के लिए समय पर निपटान की सुविधा प्रदान करना।

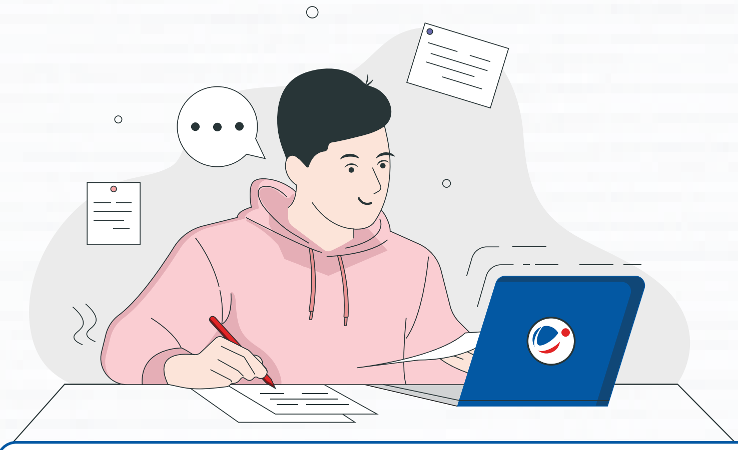

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजनाः पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोगः ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोगः परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारीः न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंगः रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंगः व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

1.1.4. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)

संदर्भ

पिछले साल 1 लाख से अधिक किसानों ने स्वेच्छा से अपने पी.एम. किसान योजना का लाभ छोड़ दिया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** अलग-अलग कृषि आदानों (इनपुट्स) की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लाभार्थी:** कुछ अपवादों को छोड़कर **सभी भूमि-धारक किसान।**
- **लाभ:** इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष, प्रत्येक चार महीने में **2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये** दिए जाते हैं।

अन्य उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य **सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता** प्रदान करना है। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **अनिवार्य भूमि अभिलेख/ स्वत्वाधिकार (Land records):** इस योजना का लाभ केवल **उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा, जिनके नाम भू-अभिलेखों में दर्ज हैं।** इसके अपवाद हैं- **वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड,** जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग प्रावधान हैं।
- **लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान:** इनकी पहचान **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** सरकार द्वारा की जाती है।
- **स्व-पंजीकरण तंत्र: मोबाइल ऐप, पी.एम. किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) में जाकर।**
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): पी.एम.-किसान के सभी** लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिए जाएंगे। **KCC के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज** के साथ फसल और पशु/ मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है।
- **धन के विचलन या दुरुपयोग की रोकथाम: भौतिक सत्यापन** मॉड्यूल (5% लाभार्थियों का), **आधार प्रमाणीकरण और आयकर दाता सत्यापन।**
- **परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU):** PMU को केंद्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। यह योजना की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
  - राज्य सरकार योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए एक **समर्पित PMU** स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

- **शिकायत निवारण:** निगरानी और शिकायत निवारण समिति को प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन को **दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।**
- **योजना से बाहर रखे गए किसान:** ऐसे किसान जिनकी आय अधिक है वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

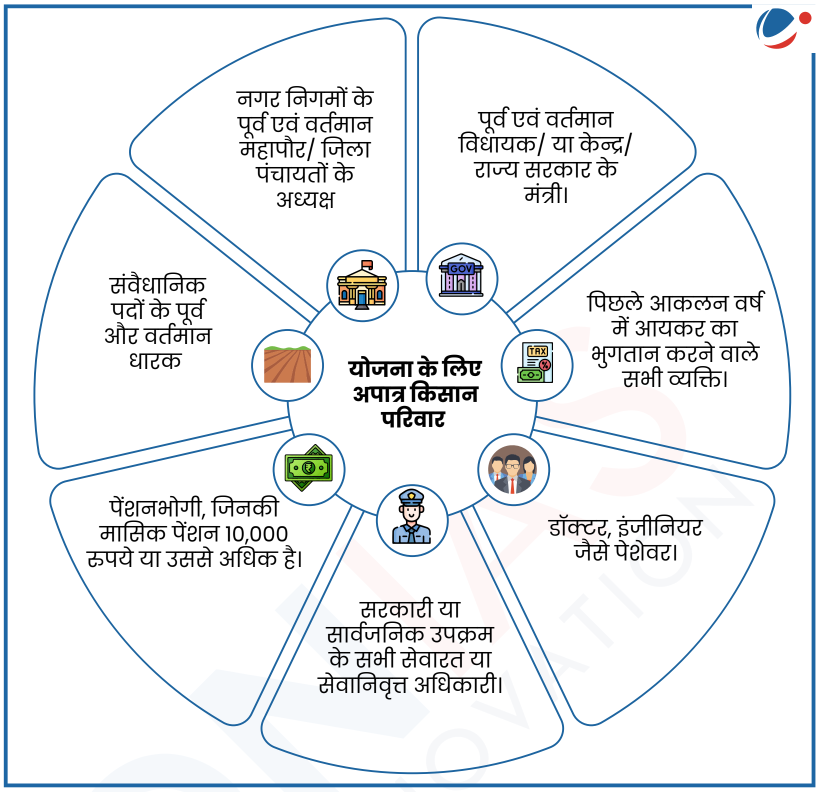

योजना से जुड़ी मुख्य समस्याएं

- **मजबूत आईटी फ्रेमवर्क का अभाव:** उत्कृष्ट कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस और अच्छे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य पीएम-किसान को लागू करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।
- **राज्यों के भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए हैं:** चूंकि पीएम-किसान का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए **भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं** होने से वास्तविक लाभार्थी छूट सकते हैं और फर्जी लाभार्थियों को शामिल किया जा सकता है।

योजना में दिए गए प्रावधानों के अलावा, **ग्रामीण बुनियादी ढांचे (सड़कें, सिंचाई, विपणन बुनियादी ढांचा, आदि)** और कृषि अनुसंधान एवं विकास में

1.1.5. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CLUSTER DEVELOPMENT PROGRAMME: CDP)-सुरक्षा/ SURAKSHA

संदर्भ

सरकार ने **बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म CDP-SURAKSHA** लॉन्च किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना। उत्पादन पूर्व, उत्पादन के दौरान, कटाई के बाद, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत व बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **लाभ:** मेगा के लिए 100 करोड़, मिडी के लिए 50 करोड़ और मिनी प्रकार के समूहों के लिए 25 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)

अन्य उद्देश्य

- **क्लस्टर विकास कार्यक्रम** का लक्ष्य **लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि करना तथा क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता** को बढ़ाने के लिए क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थी:** मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी हितधारक, जिनमें किसान/ उत्पादक, व्यापारी, एग्रीगेटर, कृषि व्यवसाय उद्यम, लॉजिस्टिक अभिकर्ता, खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर शामिल हैं।
- **CDP का कवरेज:** यह कार्यक्रम पहचाने गए क्लस्टरों को बढ़ावा देगा और अतिरिक्त संभावित क्लस्टरों के विकास में सहायता करेगा। **क्षेत्र कवरेज के आधार पर क्लस्टरों को मेगा, मिडी और मिनी** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क्रम सं.	क्लस्टर के प्रकार	क्लस्टर का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वित्तीय सहायता की राशि
1	मेगा	15000 हेक्टेयर से अधिक	100 करोड़ रुपये तक
2	मिडी	5000-15000 हेक्टेयर तक	50 करोड़ रुपये तक
3	मिनी	5000 हेक्टेयर तक	25 करोड़ रुपये तक

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने 55 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है, जिनमें से 12 को कार्यक्रम की प्रायोगिक शुरुआत के लिए चुना गया है।
- **कार्यक्रम की कार्यान्वयन संरचना में शामिल हैं:**
  - **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB):** वित्तीय सहायता प्रदान करना और कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करना।
  - **क्लस्टर विकास एजेंसी (CDA):** प्रत्येक पहचाने गए क्लस्टर के लिए, राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित एक सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को CDP के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किया जाएगा।
  - **क्लस्टर डेवलपमेंट सेल (CDC):** CDA, कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए CDA के भीतर अधिकारियों की एक समर्पित टीम के साथ CDC की स्थापना करेगा।
    - ◊ **कार्यान्वयन एजेंसी/ एजेंसियों** का चयन क्लस्टर के विविध कार्य-क्षेत्रों के लिए खुले और पारदर्शी तरीके से प्रस्तावों के लिए कॉल के माध्यम से किया जाएगा।

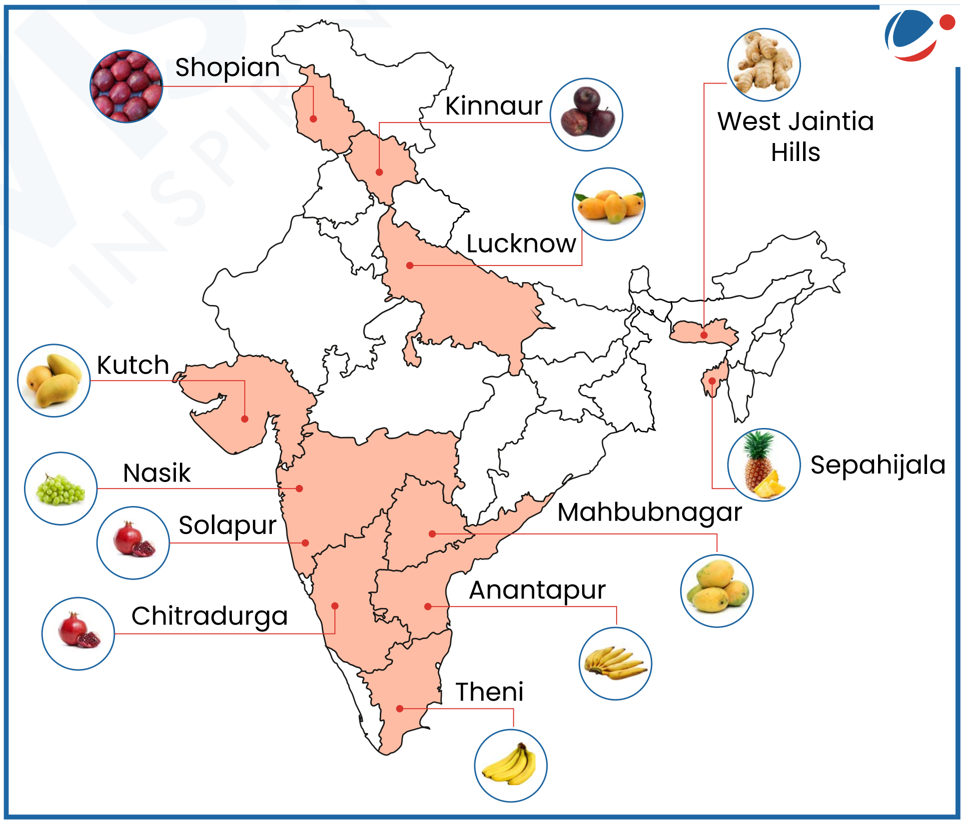

- CDP लक्षित क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एकीकृत उपायों का समर्थन करेगा। उनकी विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए, उपायों को निम्नलिखित तीन कार्य-क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:
  - **उत्पादन-पूर्व और उत्पादन के दौरान:** यह किसानों के क्षमता निर्माण तथा फसल जीवन-चक्र को कवर करने वाले कृषि संबंधी उपायों का समर्थन करेगा। इसमें रोपण सामग्री, फसल-देखभाल पद्धतियां और फसल की कटाई तक कृषि मशीनीकरण शामिल हैं।
  - **कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन:** यह क्लस्टर स्तर पर उपायों का समर्थन करेगा, जिसमें फसल की कटाई के बाद की देखभाल से लेकर भंडारण, मूल्य संवर्धन और पैकेजिंग तक शामिल हैं।
  - **लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग:** यह क्लस्टर उत्पादों को उपभोग बाजारों से जोड़ने के लिए उपायों का समर्थन करेगा। इसमें दक्ष निकासी, क्लस्टर ब्रांडिंग और घरेलू व निर्यात बाजारों में पहुंच के लिए निर्बाध लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।
- **CDP सुरक्षा:** यह नया प्लेटफॉर्म NPCI से e-RUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खातों में सब्सिडी के तत्काल वितरण की अनुमति देता है।

1.2 रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemical and Fertilizers)

1.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana: PM-BJP)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने **जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम** की शुरुआत की।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** आम नागरिकों को **किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां** उपलब्ध कराना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **खुदरा बिक्री केंद्र:** PMBJAK नामक समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

अन्य उद्देश्य

- **गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना,** ताकि दवाओं पर अपनी जेब से होने वाले व्यय को कम किया जा सके। इस प्रकार **प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को भी कम** किया जा सकेगा।
- शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना,** ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने।
- प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) केंद्र स्थापित करके तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके **रोजगार के अवसरों का सृजन करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2015 में, 'जन औषधि योजना' को **'प्रधान मंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY)** के रूप में बदल दिया गया था। इसे 2016 में फिर से PMBJP का नाम दे दिया गया था।
- **PMBJP केंद्र मालिकों को प्रोत्साहन**
  - PMBJP केंद्र मालिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये है। यह मासिक खरीद के **15% या अधिकतम 15,000 रुपये प्रतिमाह उच्चतम सीमा** के अधीन है। यह प्रोत्साहन अप्रैल 2021 से लागू है।
  - **नीति आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों** (पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों) में खोले गए PMBJP केंद्रों या **महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC एवं ST** द्वारा खोले गए PMBJP केंद्रों को फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर तथा प्रिंटर के लिए अधिकतम **2 लाख रुपये** का एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

- **PMBJP के तहत आने वाले उत्पाद**
    - इसमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं-
        - ◊ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए **विविध आयुर्वेदिक उत्पाद; तथा**
        - ◊ **सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों** (जैसे- कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक आदि) **को कवर करने वाली दवाइयां और शल्य चिकित्सा उपकरण।**
- **PMBI:** इसे फार्मा क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) द्वारा **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसायटी** के रूप में स्थापित किया गया है।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलें

- **जन औषधि 'सुविधा' सैनिटरी नैपकिन:** सैनिटरी नैपकिन **1 रुपया प्रति पैड** की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य **"स्वच्छ भारत और हरित भारत"** के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि ये पैड **ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के हानिकारक नहीं** होते हैं।
- **जन औषधि सुगम ऐप:** यह **गूगल मैप के जरिए आस-पास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने, उपलब्ध जन औषधि जेनेरिक दवाओं का पता लगाने** आदि की सुविधा प्रदान करता है।

योजना से जुड़ी मुख्य समस्याएं:

- **आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां:** जन औषधि केंद्रों में रोगियों के लिए आवश्यक गुणवत्ता युक्त दवाइयों की अनुपलब्धता से रोगियों की देखभाल सेवा प्रभावित होती है।
- **जनता के बीच जागरूकता की कमी:** योजना के प्रावधानों और इसके लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी के कारण योजना लक्षित वर्ग तक नहीं पहुंच पाती है।

योजना के प्रावधानों के बारे में प्रचार-प्रसार के साथ-साथ **संपूर्ण खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने** से प्रत्येक लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण व किफायती जेनेरिक दवाइयां प्राप्त हो सकेंगी।

गुणवत्ता सुनिश्चित करना:

- दवाएं केवल **विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (WHO-GMP), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा CE प्रमाणित** आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं।
- दवाओं को **'नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज' (NABL)** द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
- उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की परख और घुलनशीलता आदि के संदर्भ में **लोकप्रिय ब्रांडेड दवाओं के साथ नियमित रूप से तुलना** की जाती है।
- **SAP आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन** और पूर्वानुमान प्रणाली।
- दवाओं की आपूर्ति में विफलता के लिए **विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ निर्माताओं को ब्लैकलिस्ट करने/ प्रतिबंधित** करने की प्रणाली अपनाई जाती है। साथ ही, देरी से डिलीवरी के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

1.2.2. फार्मास्युटिकल्स उद्योग को मजबूत बनाना (SPI) योजना {Strengthening of Pharmaceuticals Industry (SPI) Scheme}

संदर्भ

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने **"संशोधित फार्मास्युटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (RPTU-AS)"** की घोषणा की है। पहले से चलाई जा रही PTUAS (फार्मास्युटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना) **"फार्मास्युटिकल उद्योग का सुदृढ़ीकरण (SPI)"** योजना का एक घटक है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत को फार्मा क्षेत्र में **वैश्विक लीडर** के रूप में स्थापित करना।
- **परियोजना प्रबंधन सलाहकार:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

- **SPI योजनावधि:** वित्त वर्ष **2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26** (5 वर्ष) तक।
- **परियोजनाओं की स्वीकृति:** औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली **योजना संचालन समिति (SSC)** द्वारा।

अन्य उद्देश्य

- आम सुविधाओं के निर्माण के लिए फार्मा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके **मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को मजबूत** करना।
- प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी प्रदान करके, नवीनतम विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए **फार्मा इकाइयों की उत्पादन सुविधाओं को उन्नत** करना। इससे वे **संशोधित अनुसूची M और WHO-GMP प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सक्षम** हो जाएंगे।
- अध्ययन करके, डेटाबेस बनाकर और उद्योग जगत के लीडर्स, शिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर **फार्मास्युटिकल तथा मेडिकल डिवाइस उद्योग के बारे में ज्ञान व जागरूकता को बढ़ावा देना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **सामान्य सुविधाएं:** साझा उपयोग के लिए सभी सुविधाएं, उदाहरण के लिए- सामान्य परीक्षण केंद्र; प्रशिक्षण केंद्र; अनुसंधान एवं विकास केंद्र; आदि।

योजना के घटक:

- कॉमन सुविधाओं के लिए दवा उद्योग को सहायता (API-CF): इसका उद्देश्य कॉमन (आम) सुविधाएं बनाकर सतत विकास के लिए मौजूदा दवा क्लस्टरों की क्षमता को मजबूत करना है।
  - **लाभार्थी:**
    - ◊ एक क्लस्टर में **दवा निर्माण इकाइयां,** जिन्होंने कॉमन सुविधाएं विकसित करने की परियोजना को पूरा करने के लिए एक **स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV)** बनाया है।
      - » **कम-से-कम 5 फार्मा इकाइयां SPV की सदस्य** होनी चाहिए।
    - ◊ **राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित फार्मा क्लस्टर।**

भारतीय फार्मास्युटिकल्स उद्योग

- भारतीय दवा उद्योग **उत्पादन की मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग** है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर **यूनाइटेड स्टेट्स फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) द्वारा अनुमोदित दवा उत्पादन संयंत्रों की दूसरी सबसे अधिक संख्या** भारत में है।

  - **सहायता: अनुमोदित परियोजना लागत का 70%** (हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90%) या **20 करोड़ रुपये,** जो भी कम हो।
- **संशोधित फार्मास्युटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (RPTUAS): संशोधित शेड्यूल-M और विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (WHO-GMP) मानकों के अनुरूप फार्मास्युटिकल उद्योग में सुधार** का समर्थन करना है।
  - **औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का शेड्यूल-M** फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए GMP निर्धारित करता है।
  - **पात्रता मानदंड:** ऐसी कोई भी **फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाई, जिसे प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता अपग्रेडेशन** की आवश्यकता है तथा जो **टर्नओवर संबंधी मानदंड** पूरा करती है, वह योजना में शामिल हो सकती है। (इन्फोग्राफिक्स देखिए)
    - ◊ इसमें **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्राथमिकता** दी जाएगी। पहले यह योजना **केवल MSME फार्मास्युटिकल इकाइयों को ही कवर** करती थी।
- **पात्रता हेतु शामिल अन्य गतिविधियां:** प्रोत्साहन के लिए पात्र गतिविधियों में **वाटर और स्टीम यूटीलिटीज़, परीक्षण प्रयोगशालाएं, स्टेबिलिटी चैंबर्स, अपशिष्ट प्रबंधन** आदि शामिल हैं।

- **वित्त-पोषण हेतु विकल्प में लचीलापन:** इसमें पारंपरिक **क्रेडिट-लिंक्ड सहायता की तुलना में प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के आधार पर सब्सिडी** पर बल दिया जाता है।
- **राज्यों की योजना के साथ एकीकरण की अनुमति:** यह प्रावधान **फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाइयों को अतिरिक्त टॉप-अप सहायता का लाभ उठाने में मदद** करेगा।
- **सत्यापन का बेहतर तरीका:** पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों का दक्ष आवंटन सुनिश्चित करने के लिए एक **परियोजना प्रबंधन एजेंसी** के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।

RPTUAS के तहत सहायता

पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर	प्रोत्साहन राशि
50 करोड़ रुपये से कम	पात्र गतिविधियों के तहत **निवेश का 20%**
50 करोड़ रुपये से अधिक और **250 करोड़ रुपये** से कम	पात्र गतिविधियों के तहत **निवेश का 15%**
250 करोड़ रुपये से अधिक और **500 करोड़ रुपये** से कम	पात्र गतिविधियों के तहत **निवेश का 10%**

- **फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (PMPDS):** इसका उद्देश्य फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक के विकास व वृद्धि का समर्थन करना है। यह अध्ययन/ सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, डेटाबेस बनाने और उद्योग को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है।

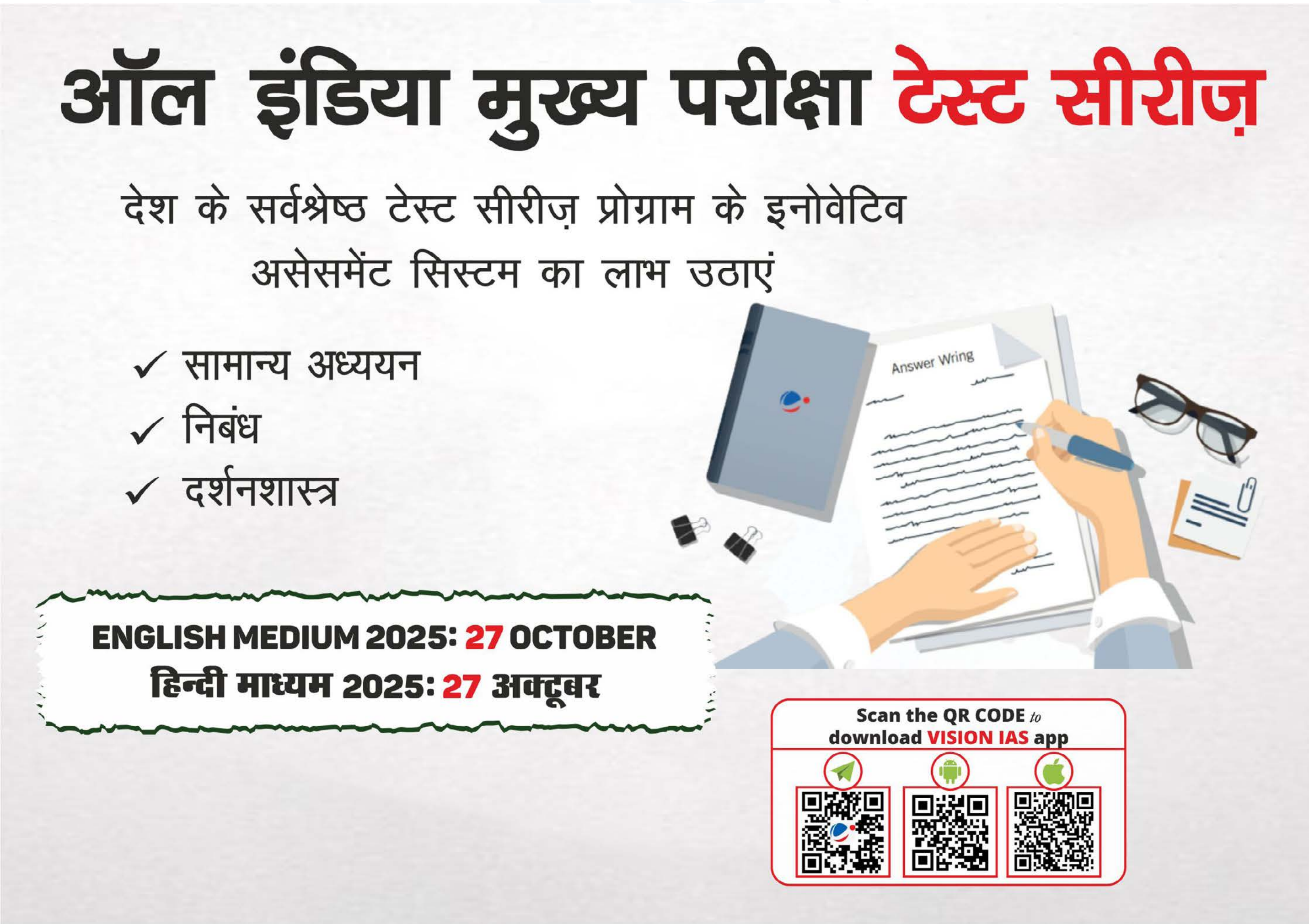

1.3 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry)

1.3.1. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) {Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme, 2024 (UNNATI 2024)}

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना, 2024** को मंजूरी दी है। इसे **10 साल की अवधि** के लिए लागू किया जाएगा। इसमें अतिरिक्त **8 साल की प्रतिबद्ध देयता या जवाबदेही** भी शामिल होगी।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास एवं रोजगार का सृजन करना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **अवधि:** यह योजना 2034 तक के लिए है, जिसमें **8 वर्ष की प्रतिबद्ध देयता या जवाबदेही** शामिल है।
- **कार्यान्वयन:** राज्यों के सहयोग से **DPIIT (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)** द्वारा।

अन्य उद्देश्य

- स्थायी आय वाला रोजगार सृजित करना, जिससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास एवं उत्पादक आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिले।

प्रमुख विशेषताएं

- **जिलों को दो क्षेत्रों (Zones) में वर्गीकृत किया गया है: जोन A** (औद्योगिक रूप से विकसित जिले), **जोन B**- (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले)
- **निधियों का आवंटन:**
  - **निधियों को दो भागों में विभाजित किया गया है- भाग A** पात्र इकाइयों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, तथा भाग B योजना के कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था के लिए है।
  - भाग A के परिव्यय का **60 प्रतिशत 8 पूर्वोत्तर राज्यों** के लिए, जबकि शेष **40% फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO)** आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

पात्रता

सभी नवीन औद्योगिक इकाइयां और विस्तारित इकाइयां पात्र हैं।	सभी घटकों से एक इकाई को **अधिकतम पात्रता लाभ: 250 करोड़ रुपये।**	**ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसे हरित उद्योग सकारात्मक सूची में हैं, जबकि सीमेंट, प्लास्टिक और अन्य नकारात्मक सूची में हैं।**

- **पंजीकरण अवधि:** औद्योगिक इकाइयां अधिसूचना की तिथि से **31 मार्च, 2026** तक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- **उत्पादन या संचालन की शुरुआत:** सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को **पंजीकरण होने के 4 वर्ष के भीतर अपना उत्पादन या संचालन शुरू** करना होगा।
- **योजना के घटक:**
  - **पूंजी निवेश प्रोत्साहन (CII):** यह प्रोत्साहन नई और विस्तारित, दोनों इकाइयों के लिए उपलब्ध है।
    - पूंजी निवेश प्रोत्साहन उन पात्र व्यवसायों को विशेष वित्तीय लाभ प्रदान करता है, जो या तो नए हैं या विस्तार कर रहे हैं।
  - **केंद्रीय ब्याज छूट सहायता (CIS):** नई और विस्तारित, दोनों इकाइयों के लिए। यह पात्र व्यवसायों को वित्तीय राहत प्रदान करता है।
  - **विनिर्माण एवं सेवा-से-संबद्ध प्रोत्साहन (MSLI):** इसके लिए केवल नई इकाइयों वाले व्यवसाय ही पात्र होंगे।

1.3.2. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना {Remission Of Duties And Taxes On Exported Products (RoDTEP) Scheme}

संदर्भ

इस योजना के दायरे में **अग्रिम प्राधिकार धारकों** (विनिर्माण को समर्थन देने वाले विनिर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक), **निर्यात उन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों** को भी शामिल किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक बाजारों में निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु सभी निर्यात उत्पादों के लिए **जीरो-रेटिंग** प्राप्त करना है।
  - **जीरो-रेटिंग** का तात्पर्य **निर्यात को करों और शुल्कों से छूट** देना है। इससे निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में **अधिक प्रतिस्पर्धी** बनाया जा सकेगा।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **कार्यान्वयन:** सरलीकृत आईटी प्रणाली के माध्यम से सीमा शुल्क द्वारा।
- **कवर किए गए क्षेत्रक:** समुद्री, कृषि, चमड़ा, रत्न व आभूषण इत्यादि जैसे **रोजगार उन्मुख क्षेत्रकों** को इस योजना के तहत कवर किया गया है।

अन्य उद्देश्य

- निर्यात किए गए उत्पाद पर केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर वर्तमान में लगाए गए लेकिन वापस न किए गए **शुल्कों, करों एवं लेवी को वापस करना।**
- देश में उत्पादित वस्तुओं को समान अवसर प्रदान करके विदेशों में **भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह योजना **विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन** करती है। इसे पूर्ववर्ती **"भारत से पण्य निर्यात योजना (MEIS)"** की जगह शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लागत के मामले में भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकें।
- **सिद्धांत:** यह **"निर्यातित वस्तुओं की लागत में करों और शुल्कों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए" तथा "निर्यात किए गए उत्पादों पर चुकाए गए करों एवं शुल्कों को या तो छूट दी जानी चाहिए या निर्यातकों को वापस किया जाना चाहिए"** के वैश्विक सिद्धांतों पर आधारित है।
- **कवरेज:**
    - निर्यातित उत्पाद पर भुगतान किए जाने वाले केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर वसूले गए लेकिन **वापस न किए गए शुल्क, कर और लेवी;**
    - निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर **पहले के चरणों में भुगतान किए गए अप्रत्यक्ष कर; तथा**
    - निर्यातित उत्पादों के वितरण से संबंधित **अप्रत्यक्ष शुल्क, कर और लेवी।**
- **छूट:** पहले से प्राप्त छूट या क्रेडिट किए गए शुल्कों और करों के लिए उपलब्ध नहीं है।
- **सहायता की प्रकृति:** पात्र निर्यातकों को **फ्रेट ऑन बोर्ड (FOB) मूल्य** के प्रतिशत के रूप में अधिसूचित दर पर सहायता उपलब्ध होगी।
    - कुछ निर्यातीत उत्पादों पर छूट निर्यात किए गए उत्पाद की **प्रति यूनिट मूल्य सीमा** के तहत होगी।
- **छूट की प्रकृति: हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट/ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई-स्क्रिप)** के रूप में, जिसे **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते** में बनाए रखा जाएगा।
- **निगरानी और लेखा परीक्षा तंत्र:** निर्यातकों के रिकॉर्ड को भौतिक रूप से सत्यापित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS) सहित एक निगरानी और लेखा परीक्षा तंत्र का उपयोग किया जाएगा।

योजना से जुड़ी मुख्य चिंताएं

- **इस योजना के तहत निर्यात की कुछ श्रेणियों के लिए दरें अधिसूचित नहीं की गई हैं,** और अधिसूचित दरें वास्तविक शुल्क/ कर/ लेवी भुगतान की पूरी तरह से **प्रतिपूर्ति नहीं** करती हैं।
- योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं है।**

यह योजना सावधानीपूर्वक तैयार की गई है और पारदर्शी है। इसका उद्देश्य शुल्क और लेवी की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करना है। हालांकि, इस योजना के संबंध में निर्यातकों के सामने आने वाली परिचालन संबंधी कुछ चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है ताकि योजना को और प्रभावी बनाया जा सके।

1.4 रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

1.4.1. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना {ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) Scheme}

संदर्भ

रक्षा मंत्रालय ने IDEX फ्रेमवर्क के तहत "एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजीस विद iDEX (ADITI)" योजना शुरू की है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** जिन क्षेत्रों में देश के पास मौजूदा क्षमताएं नहीं हैं, वहां **लगभग 30 डीप-टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास** करना।
- **घटक:** ADITI योजना के विजेताओं और पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs) को अनुदान सहायता।
- **शामिल प्रौद्योगिकियां:** इसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक** हैं, लेकिन भारत में **इनके उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं** हैं।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2023-2024 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक।

अन्य उद्देश्य

- **रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास** को सुविधाजनक बनाना, जो संवेदनशील व नवोन्मेषी हों।
- **अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण करना** और विदेशी "मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs)" पर निर्भरता को कम करना।
- ADITI योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल या कुंडलित विकास (Spiral Development Model)** द्वारा बढ़ावा देना। साथ ही, मौजूदा iDEX योजना के तहत विकसित उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना।
- **"टेक्नोलॉजी वॉच टूल"** बनाना और **प्रौद्योगिकी दूरदर्शी कार्यशालाओं** का आयोजन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **ADITI चैलेंज:** प्रत्येक ADITI चैलेंज में अधिकतम **दो विजेताओं के लिए समर्थन** का प्रावधान किया गया है। किसी आवेदक को **एक समय में केवल एक ही ADITI चैलेंज में पुरस्कृत** किया जाएगा।
  - ADITI योजना में ADITI की मंजूरी की तारीख के बाद शुरू किए गए **iDEX प्राइम श्रेणी के चैलेंजज़ को शामिल** किया जाएगा (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

- **पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs):** योजना की अवधि के दौरान विशेष विशेषज्ञता वाले लगभग **10 पार्टनर इन्क्यूबेटर्स का नेटवर्क** विकसित किया जाएगा। ये पार्टनर इन्क्यूबेटर्स विशेष सहायता और व्यावसायिक सलाह प्रदान करेंगे।
- **वित्तीय सहायता:**
  - **ADITI योजना के विजेताओं को सहायता अनुदान:** हस्ताक्षर किए जाने वाले अनुबंधों के लिए **प्रति विजेता 25 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट के 50 प्रतिशत तक का अनुदान** दिया जाएगा।
  - **पार्टनर इनक्यूबेटर्स (PIs) को सहायता अनुदान:**
    - इस परियोजना में **6 प्रमुख उपलब्धियों/ चरणों** को शामिल किया गया है। इनमें से **प्रत्येक चरण के लिए भुगतान की उच्चतम सीमा 1,50,000 रुपये** निर्धारित की गई है।
      - ऐसा अनुमान है कि यह भुगतान पार्टनर इन्क्यूबेटर्स को **उनके संबंधित चैलेंज के विजेता की प्रत्येक चरण की सुविधा/ पूर्णता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।**
    - इसके अलावा, पार्टनर इनक्यूबेटर्स को **आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित क्रियाकलाप (Activity) के अनुसार निधि भी प्रदान की जाएगी:-**
      - रक्षा क्षेत्रक की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निकटवर्ती इलाकों से **स्टार्ट-अप्स/ MSMEs को संबद्ध** करना।
      - उपलब्धि/ चरण के आधार पर चैलेंज के विजेताओं के लिए शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान व विकास के माध्यम से **तकनीकी/ वित्तीय यथोचित उद्यम, इन्क्यूबेशन एवं मेंटरशिप समर्थन** को सुविधाजनक बनाना।
      - **विस्तार करने, जागरूकता फैलाने** और अन्य उपायों के तहत नवोन्मेषी इकोसिस्टम को मजबूत करना।
- **ADITI चैलेंज के लिए पात्रता:**
  - ऐसे **स्टार्ट-अप्स** जो उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग **(DPIIT) की परिभाषा के दायरे में** आते हैं और **मान्यता प्राप्त** हैं।
  - **कंपनी अधिनियम 1956/ 2013** के तहत पंजीकृत या निगमित कोई भी भारतीय कंपनी। इनमें मुख्य रूप से **MSME अधिनियम, 2006 के तहत MSME के रूप में परिभाषित कंपनियां** शामिल होंगी।
  - **स्टार्ट-अप/ MSME के रूप में पंजीकृत अलग-अलग नवोन्मेषक।** अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भी इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।

ADITI योजना और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (Innovations for Defence Excellence: iDEX)

ADITI योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल या कुंडलित विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना। साथ ही, मौजूदा iDEX योजना के तहत विकसित उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना।

iDEX **रक्षा नवाचार संगठन (DIO) का कामकाजी फ्रेमवर्क है।**

iDEX-DIO, **डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC)** के विजेता (स्टार्ट-अप्स/ व्यक्तियों) को **1.5 करोड़ रुपये** तक की फंडिंग प्रदान करता है। यह अनुदान राशि **परियोजना की लागत और स्टार्ट-अप्स द्वारा समान योगदान राशि के आधार** पर दी जाती है।

युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए **iDEX को iDEX प्राइम** के रूप में विस्तारित किया गया है। इसमें सहायता अनुदान को **1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।

- **iDEX पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs) के रूप में अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता**
  - **कानूनी स्थिति:** आवेदक इनक्यूबेटर को **भारत में सार्वजनिक, निजी या सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में एक कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए। साथ ही, **भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त की हो या कर रहा हो।**
  - **अनुभव:**
    - इनक्यूबेटर को **कम-से-कम 5 वर्षों तक संचालित** किया जाना चाहिए। साथ ही, **कम-से-कम 10 रक्षा-संबंधी स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट या वित्त पोषित** करना चाहिए।
    - इसके द्वारा **पिछले 3 वर्षों में कम-से-कम 5 स्टार्ट-अप्स इन्क्यूबेट** होने चाहिए। इसके अलावा, इन स्टार्ट-अप्स को रक्षा नवाचार संगठन (DIO) द्वारा 'आवेदन के लिए आमंत्रण' की तारीख तक 'वित्तीय रूप से सक्षम संचालनरत संस्था (A going concern)' के रूप में परिचालन में होना चाहिए।
    - इसने **पिछले 5 वर्षों में कम-से-कम 2 क्षेत्रक-केंद्रित त्वरक कार्यक्रमों** (प्राथमिक रूप से डीप टेक, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग, साइबर आदि में) को प्रबंधित किया हो।
  - **संसाधन:** आवेदन करने वाले इनक्यूबेटर के पास इससे संबद्ध स्टार्ट-अप्स के लिए **कम-से-कम 25 मेंटर** होने चाहिए। इनमें से कम-से-कम **5 रक्षा या एयरोस्पेस क्षेत्रक में लघु व मध्यम उद्यम (SMEs) से** होने चाहिए तथा **कम-से-कम 2 निवेश विशेषज्ञ/ निवेशक** होने चाहिए।

- **नेटवर्किंग:** ADITI के विजेताओं का समर्थन करने के लिए पार्टनर इन्क्यूबेटर्स के पास पर्याप्त बाह्य सहायता प्रणाली होनी चाहिए। बाह्य सहायता प्रणाली से तात्पर्य **उद्योग, शिक्षा जगत व सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग से** है।

- **ADITI चैलेंज के लिए चयन की प्रक्रिया**
  - भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ADITI के लिए तैयार फ्रेमवर्क के तहत **चैलेंजज़ के माध्यम से प्रस्ताव** आमंत्रित किए जाएंगे।
  - इसमें चयन **उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति (High-Power Selection Committee: HPSC)** द्वारा किया जाएगा। इसका नेतृत्व **चैलेंज ओनर, विषय-वस्तु विशेषज्ञ, अकादमिक/ उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित हितधारक करेंगे।**
- **निगरानी:** रक्षा नवाचार संगठन (DIO) द्वारा पार्टनर इंक्यूबेटर्स (PIs) के माध्यम से अनुदान के उपयोग और प्रगति की निगरानी की जाएगी।
  - **DIO एक कंपनी है।** इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8** के तहत निगमित किया गया था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) इसके खातों का **ऑडिट** कर सकता है।
  - DIO का गठन **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** ने संयुक्त रूप से किया है।
- **योजना का मूल्यांकन:** योजना में बने रहने के लिए नए मूल्यांकन/ संशोधन से पहले **वित्त वर्ष 2025-26 में तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन** की व्यवस्था की जाएगी।
- **टेक्नोलॉजी वॉच टूल:** इसे आधुनिक **सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं तथा रक्षा नवाचार इकोसिस्टम की क्षमताओं के बीच अंतर को समाप्त करने** के लिए विकसित किया जाएगा।

1.5 भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

1.5.1. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन योजना (Electric Mobility Promotion Scheme: EMPS), 2024

संदर्भ

भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने में तेजी लाने के लिए **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन योजना (EMPS) योजना** शुरू की है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-3W) वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- **अधिकतम वित्तीय सहायता:** योजना के तहत कुल भुगतान 500 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय तक सीमित होगा।
- **अवधि:** 6 महीने (1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक)।
- **कार्यान्वयन:** योजना का "कार्यान्वयन परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)" द्वारा किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

- देश में **ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने को गति प्रदान करना** और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:**
  - **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME-I)** योजना को 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसकी योजनावधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक थी।
  - FAME-II को **1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2024** की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। FAME-II को 11,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक** की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था।
    - ◊ FAME चरण II की योजनावधि की समाप्ति के बाद, EMPS शुरू की गई है।
- **पात्र इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों में शामिल हैं**
  - **दोपहिया वाहन:** निजी, कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक वाहन; तथा
  - **तिपहिया वाहन:** ई-रिक्शा और कार्ट्स।

- **पात्रता:**
  - वे वाहन जो **केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत** हैं और
  - वे वाहन जो केवल **उन्नत बैटरी से युक्त** हैं।
- **EMPS के घटक (Components):**
  - **सब्सिडी:** इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए मांग आधारित **5,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी दी जाती थी।**
    - इन वाहनों में उपयोग की जाने वाली **बैटरी क्षमता** (यानी kWh में मापी गई ऊर्जा सामग्री) **के आधार पर प्रोत्साहन** दिया जाएगा।
    - **अत्याधुनिक वाहनों (Very high end vehicles) को सरकारी प्रोत्साहनों** का लाभ उठाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन की **सीमा पूर्व-कार्रवाई मूल्य के 15 प्रतिशत** पर होगी।
  - **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन IEC गतिविधियों और **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भुगतान करके किया जाएगा।

डिमांड प्रोत्साहन के लिए योग्यता मानदंड: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को इसके वेरिएंट सहित होना चाहिए

विनिर्माता से बैटरी सहित **व्यापक वारंटी** दी जानी चाहिए। साथ ही, वाहन के जीवनावधि के लिए बिक्री के बाद भी सेवा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना।	**भारत में निर्मित किया जाना चाहिए और ऐसे घटकों का** स्थानीय **विनिर्माण और संयोजन होना चाहिए।**	CMVR में शामिल नियमों के अनुसार प्रकार के प्रमाणन, श्रेणीकरण, वर्गीकरण आदि के लिए प्रावधानों को पूरा करें।	मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसियों से **EMPS-2024 पात्रता मूल्यांकन का प्रमाण पत्र** प्राप्त करना।

- **डिमांड प्रोत्साहन प्राप्त करने की शर्तें:**
  - **मूल उपकरण निर्माता (OEM)** को भारी उद्योग मंत्रालय **(MHI) के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है** और उनके प्रत्येक इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल को MHI से मंजूरी लेनी होगी।
  - प्रत्येक वाहन मॉडल को **वाहन दक्षता के संबंध में न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंडों** को पूरा करना होगा।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP):** निर्माता समय के साथ EV घटकों के स्थानीयकरण की रूपरेखा तैयार करने वाले PMP दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
- **परियोजना कार्यान्वयन और स्वीकृति समिति (PISC):** यह भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक **अंतर-मंत्रालयी** अधिकार प्राप्त समिति है।
  - इसका गठन समग्र **निगरानी, स्वीकृति और कार्यान्वयन** के लिए किया गया है।
  - इसमें इलेक्ट्रिक **टू-व्हीलर/ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के बीच परस्पर आवंटन** को बदलने की शक्ति है।
- **राज्य की जिम्मेदारियां:** राज्यों को कई प्रकार के राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों की पेशकश करने की आवश्यकता है। इनमें सड़क कर या टोल टैक्स या पार्किंग शुल्क छूट/ रियायत, परमिट से छूट, रियायती पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।
- **अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों पर प्रभाव:** इस योजना के तहत प्रोत्साहन **"ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई योजना (PLI-ऑटो)"** और **एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए पीएलआई योजना (PLI-ACC)** के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा।

1.6 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy)

1.6.1. पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)

संदर्भ

सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को स्वयं बिजली पैदा करने में सशक्त बनाने के लिए पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सोलर **रूफटॉप पैनल की हिस्सेदारी** को बढ़ाना और **आवासीय परिवारों** को अपनी बिजली स्वयं पैदा करने के लिए **सशक्त बनाना।**
- **मॉडल सौर ग्राम:** ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर ग्राम विकसित किया जाएगा।
- **स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन:** शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अपने क्षेत्रों में RTS की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **अवधि:** 2024 से 2026-27 तक।

अन्य उद्देश्य

- **आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) के माध्यम से 30 गीगावॉट (GW) सोलर कैपेसिटी** की स्थापना करना।
- **RTS की स्थापना करके 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/ सस्ती बिजली प्रदान करने में मदद** करना।
- योजना के तहत स्थापित क्षमता के जरिए **1,000 बिलियन यूनिट, नवीकरणीय** बिजली का उत्पादन करना।
- **घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने** के लिए विनियामकीय समर्थन, विनिर्माण संबंधी सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ इसके लिए **आवश्यक इकोसिस्टम को विकसित** करना।
- ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ **स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2019 में **ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण** को शुरू किया गया था। इसे **2025-26 तक लागू** किया जाना है। अब इस योजना को **पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शामिल कर दिया गया** है।

- चरण II ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों सहित आवासीय क्षेत्रक में CFA के माध्यम से 40 गीगावॉट RTS क्षमता जोड़ना है।
- योजना में 18 GW की प्रारंभिक क्षमता जोड़ने के लिए **डिस्कॉम को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन** प्रदान करने का प्रावधान है।

- **सब्सिडी संरचना:** यह योजना निम्नलिखित के आधार पर केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के माध्यम से **आवासीय क्षेत्रक में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना का समर्थन** करेगी:

आवासीय खंड का प्रकार	**CFA**	**CFA (विशेष श्रेणी वाले राज्य)**
पहले 2 kWp की RTS क्षमता या उसका भाग	रु. 30,000/kWp	रु. 33,000/kWp
1 किलोवाट की अतिरिक्त RTS क्षमता या उसका भाग	रु. 18,000/kWp	रु. 19,800/kWp
3 किलोवाट से अधिक की अतिरिक्त **RTS क्षमता**	कोई अतिरिक्त CFA नहीं	
500 किलोवाट तक की ईवी चार्जिंग (प्रति घर 3 किलोवाट की दर से) सहित साझा सुविधाओं के लिए **ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/ RWA आदि**	रु. 18,000/kWp	रु. 19,800/kWp

- **CFA का लाभ उठाने के लिए शर्तें:**
  - CFA, स्थापित किए जाने वाले **इन्वर्टर के निरपेक्ष (आकार पर ध्यान दिए बिना) प्रदान किया जाएगा।**
  - स्थापना में प्रयुक्त सौर मॉड्यूल को **घरेलू सामग्री अनिवार्यता संबंधी शर्त** को पूरा करना होगा।
  - जो आवासीय उपभोक्ता/ RWA रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के रूफटॉप सोलर सिस्टम हेतु पूर्व/ वर्तमान योजना के तहत CFA का लाभ उठा चुके हैं और जिन्होंने बाद में **RTS इंस्टॉलेशन का आकार बढ़ाया है,** वे वर्तमान योजना के तहत समग्र RTS संयंत्र के आकार के केवल 3 किलोवाट तक की शेष क्षमता के लिए अतिरिक्त CFA के लिए पात्र होंगे।
- **आवासीय RTS की स्थापना के लिए ऋण:** परिवार 3 किलोवाट तक की RTS प्रणालियों की स्थापना के लिए लगभग 7% के जमानत रहित (कोलैटरल फ्री) कम-ब्याज दर वाले ऋण ले सकते हैं।
- **राष्ट्रीय पोर्टल:** यह पोर्टल **परिवारों को निम्नलिखित सुविधा** प्रदान करेगा:
  - **सब्सिडी के लिए आवेदन** करने और रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए **उपयुक्त विक्रेता का चयन** करने में।
  - रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने से संबंधित हाउसहोल्ड्स को **महत्वपूर्ण जानकारी** प्रदान करने में, जैसे- **किस क्षमता का सिस्टम लगवाना है, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग** आदि।
- **अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता:** इसके तहत क्षमता निर्माण, जागरूकता और आउटरीच प्रोग्राम आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **लाभार्थियों की सुरक्षा:** मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय पोर्टल पर **सौर मॉड्यूल, इन्वर्टर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की बेंचमार्क कीमतें प्रकाशित** करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहकों से अधिक शुल्क न लिया जाए।
- **गुणवत्ता आश्वासन:** यह योजना CFA के लिए पात्र रूफटॉप सोलर हेतु अनिवार्य न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं को तय करेगी।
- **राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त अनुदान:** आवासीय क्षेत्रक में RTS के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए CFA के साथ-साथ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर सकती हैं।

योजना से जुड़ी चुनौतियां:

- **असंवेदनशील व्यवहार:** वितरण कंपनी के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए मांग-पक्ष प्रबंधन सेल द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद, कई संस्थाएं रूफटॉप सोलर और इसके प्राथमिक कार्यान्वयन के बारे में नवीनतम आदेशों से अनभिज्ञ हैं।
- **नेट मीटरिंग समय-सीमा का पालन न करना:** हालांकि, वेंडर्स द्वारा आवासीय सौर ऊर्जा स्थापना में केवल 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन प्रक्रियागत देरी के कारण कमीशनिंग में अक्सर एक महीने से अधिक समय लग जाता है।

- **पीएम सूर्य घर पोर्टल में तकनीकी खामियां:** पिछले कई महीनों से, पोर्टल में विविध गड़बड़ियां आ रही हैं। इससे उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और डिस्कॉम अधिकारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

नुक्कड़ नाटक, स्थानीय पत्रिकाओं, सामुदायिक संगठनों आदि के माध्यम से प्रक्रियात्मक दक्षता और जागरूकता पैदा करना इस मिशन की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए जरूरी है।

1.6.2. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) {National Green Hydrogen Mission (NGHM)}

संदर्भ

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब्स उप-घटक के लिए योजना दिशा-निर्देश जारी किए

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत को **ग्रीन हाइड्रोजन और उसके सह-उत्पादों के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र** बनाना है।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **योजना की अवधि:** इस योजना का कार्यान्वयन **वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर वित्त वर्ष 2029-30** तक किया जाएगा।
- **मिशन के उप-घटक:**
  - स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT) प्रोग्राम,
  - ग्रीन हाइड्रोजन हब्स,
  - अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम,
  - कौशल विकास और अन्य

अन्य उद्देश्य

- स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में योगदान देना तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में प्रेरणा के रूप में कार्य करना।
- कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाना, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना तथा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: ग्रीन हाइड्रोजन** वह हाइड्रोजन है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके **जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके (इलेक्ट्रोलिसिस) उत्पादित** किया जाता है।
- **लक्ष्य: 2030 तक प्रति वर्ष कम-से-कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन** के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना। साथ ही, **प्रति वर्ष 10 MMT** तक पहुंचने की क्षमता हासिल करके **निर्यात** की संभावनाएं तलाशना।

- **चरणबद्ध एप्रोच:**
  - **चरण-I (2022-23 से 2025-26):** चरण-I का मुख्य फोकस **स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर इसकी पर्याप्त आपूर्ति करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन की मांग पैदा** करने पर होगा।
  - **चरण-II (2026-27 से 2029-30):** लागत और बाजार की मांग के आधार पर **स्टील, परिवहन एवं शिपिंग क्षेत्रकों में वाणिज्यिक पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन-आधारित परियोजनाओं को शुरू** करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।
- **मिशन के घटक:**
  - भारत में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन को निर्यात और घरेलू खपत के लिए प्रतिस्पर्धी बनाकर मांग पैदा करना;
  - प्रोत्साहन फ्रेमवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करना;
  - विस्तार और विकास का समर्थन करने के लिए अनुकूल व्यवस्था का निर्माण करना आदि।

मांग सृजन

निर्यात बाजार
वैश्विक मांग पर पकड़ बनाए रखना

आयात का विकल्प
जीवाश्म ईंधन और उर्वरक

घरेलू मांग
विविध क्षेत्रक

आपूर्ति को प्रोत्साहित करना

ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप
निम्नलिखित के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन:
- इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण;
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन आदि।

प्रमुख सक्षमकर्ता

संसाधन
वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा
- बैंकिंग और भंडारण, संचरण, भूमि एवं जल

अनुसंधान एवं विकास
परिणामोन्मुखी, समयबद्ध और PPP व बड़ी चुनौतियों के माध्यम से

व्यवसाय करने में आसानी
सरल प्रक्रियाएं, कराधान, SEZ, वाणिज्यिक मुद्दे

अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला
बंदरगाह, ईंधन भरना, हाइड्रोजन हब व पाइपलाइन

विनियम और मानक
परीक्षण सुविधाएं, मानक, विनियम, सुरक्षा और प्रमाणन

कौशल विकास व जन जागरूकता
समन्वित कौशल विकास कार्यक्रम, ऑनलाइन पोर्टल

- **गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - **कैबिनेट सचिव** की अध्यक्षता में **अधिकार प्राप्त समूह (EG)।**
  - **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सलाहकार समूह** का गठन जिसमें शिक्षा जगत व शोध संस्थानों तथा उद्योग और नागरिक समाज के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस समूह की अध्यक्षता **भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार** करेंगे।
  - **मिशन सेक्रेटेरियट** जिसका अध्यक्ष **मिशन निदेशक** होगा। वह संबंधित क्षेत्र का ज्ञान और अनुभव रखने वाला पेशेवर होगा। मिशन निदेशक, **अधिकार प्राप्त समूह के सचिव** के रूप में भी काम करेगा।
- **NGHM के अलग-अलग उप-घटकों के बारे में:**
  - **ग्रीन हाइड्रोजन हब्स:** इसके तहत **वित्त वर्ष 2025-26** तक कम-से-कम **दो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स** स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत हब्स में **केंद्रीय अवसंरचना** का विकास भी शामिल है।
    - हाइड्रोजन हब्स **निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र** होते हैं। यहां **हाइड्रोजन उत्पादकों और उपभोक्ता (एंड यूज) के नेटवर्क तथा भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए पर्याप्त अवसंरचना** शामिल होते हैं।
  - **स्किलिंग, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग:** इसमें **अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT), पहले से प्राप्त लर्निंग को मान्यता देना (RPL) और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना** करना शामिल है।
  - **SIGHT कार्यक्रम-**
    - **SIGHT घटक-I: इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना-** इसमें इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।
      - इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा **भारतीय सौर ऊर्जा निगम** के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।
      - **SIGHT घटक-II: यह ग्रीन हाइड्रोजन** का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने से संबंधित है।
- **अनुसंधान एवं विकास योजना:** इसके तहत **वित्त वर्ष 2025-26 तक हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, कम्प्रेशन, परिवहन, उपयोग आदि के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान** करना शामिल है।

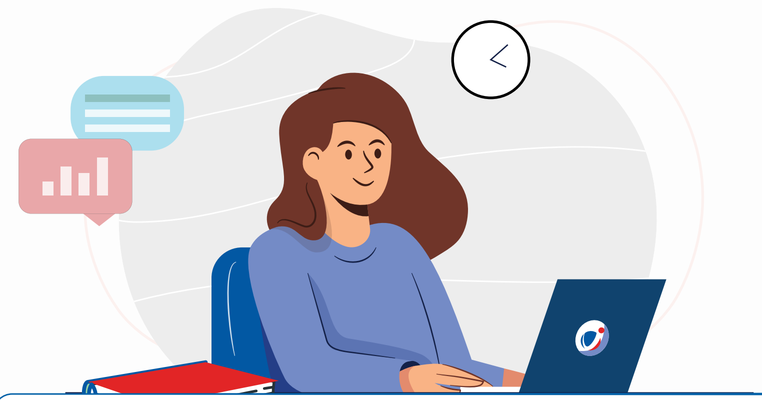

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत:
UPSC प्रीलिम्स के लिए
एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए
QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन करें

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

1.7 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

1.7.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) {Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)}

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान PMUY के तहत **प्रति वर्ष 12 रिफिल्स के लिए प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी** को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (LPG) प्रदान करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- **योजना के तहत आवेदक:** केवल महिला जिसकी **आयु 18 वर्ष** होनी चाहिए।
- **लाभ:** नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन।
- **प्राथमिक लाभार्थी:** महिलाएं एवं बच्चे

अन्य उद्देश्य

- उन **निम्न-आय वाले परिवारों** की महिलाओं को **नि:शुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना, जो PMUY के **पहले चरण के तहत शामिल नहीं किए** जा सके थे।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMUY पहल का शुभारंभ 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य **8 करोड़ ग्रामीण और वंचित परिवारों को नि:शुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान** करना था।
  - **केंद्रीय बजट 2021-22 में PMUY योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन** के प्रावधान की घोषणा की गई थी।
  - इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख नए LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इससे PMUY लाभार्थियों की कुल संख्या **बढ़कर 10.35 करोड़** हो जाएगी।
  - 31 अक्टूबर 2023 तक, PMUY के तहत **9.67 करोड़ सक्रिय LPG कनेक्शन** हो चुके हैं।
- **पात्रता:** किसी निर्धन परिवार की **ऐसी वयस्क महिला** इस योजना के लिए पात्र होगी, **जिसके पास उसके परिवार में LPG कनेक्शन नहीं है। योजना के तहत पात्रता के लिए लाभार्थी:**

- **सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) 2011** सूची के अनुसार पात्र हो, या
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों से संबंधित हो, **प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) व अंत्योदय अन्न योजना (AAY)** के लाभार्थी हो, वनवासी हो तथा **अति पिछड़ा वर्ग (MBC),** चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति या नदी द्वीप में रहने वाले समुदाय से हो।

- **सब्सिडी:**
  - प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए **1600 रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **प्रतिवर्ष 14.2 किलोग्राम रिफिल वाले 12 सिलेंडर्स पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये** की सब्सिडी दी जाती है।
- **प्रवासी लाभार्थियों के लिए पंजीकरण का सरलीकरण:** प्रवासियों को राशन कार्ड या पते से संबंधित कोई प्रमाण जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा।
- **योजना के तहत अपात्र लाभार्थी:** जिस परिवार ने किसी तेल विपणन कंपनी से कोई अन्य LPG कनेक्शन लिया हुआ है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूर्ण

खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक सार्वभौमिक पहुंच

विश्व भर में भारत की उज्ज्वला योजना की सराहना

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

योजना से जुड़े मुख्य मुद्दे (CAG रिपोर्ट)

- **कार्यान्वयन में कमी:** KYC जांच में उचित सावधानी की कमी तथा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और NIC द्वारा किए गए डी-डुप्लीकेशन (दोहराव को रोकना) अभ्यास में विफलता के कारण अनपेक्षित लाभार्थियों को कनेक्शन जारी किए गए हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में **पर्याप्त वितरकों की कमी** के कारण रिफिल की आपूर्ति में देरी हो रही है और लाभार्थियों के घरों तक रिफिल पहुंचाने में समस्या उत्पन्न हो रही है।
- कई मामलों में सब्सिडी का वितरण नहीं किया गया है। इससे बीपीएल लाभार्थियों को स्वच्छ ईंधन अपनाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

सिफारिशें (CAG रिपोर्ट)

- **डी-डुप्लीकेशन को प्रभावी बनाने के लिए** मौजूदा तथा नए लाभार्थियों के परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर सिस्टम में दर्ज किए जाने चाहिए।
- **रिफिल की अधिक खपत** की निगरानी करने के लिए नियमित समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि **किसी अन्य उद्देश्य से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।**
- योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए योजना में **थर्ड पार्टी ऑडिट प्रावधान का उपयोग** किया जा सकता है।

1.8 ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

1.8.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005)

संदर्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 के तहत **अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें** अधिसूचित की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों** में अकुशल शारीरिक श्रम के जरिए **पूरक/ सहायक आजीविका को कानूनी अधिकार** बनाना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **लाभार्थी:** ग्रामीण परिवार के **18 वर्ष से अधिक आयु** के सभी सदस्य।
- **निगरानी तंत्र:** ग्राम सभा द्वारा **सामाजिक लेखापरीक्षा** करके योजना की निगरानी की जाती है।

अन्य उद्देश्य

- यह योजना **एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी** देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से **अकुशल शारीरिक श्रम** करने का इच्छुक होता है

प्रमुख विशेषताएं

- **श्रेणी:** MGNREGA 'कोर ऑफ द कोर' योजना है।
- **कवरेज:** इसमें 100 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर देश का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।
- **वित्त-पोषण साझाकरण**
  - **केंद्र सरकार का योगदान:** अकुशल श्रम लागत का 100% और **सामग्री लागत का 75% वित्त पोषण** केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
  - **राज्य सरकारों का योगदान:** राज्य सरकारें **सामग्री लागत का 25% हिस्सा** वहन करती हैं।
- **मांग संचालित एवं जन केंद्रित**
  - **गारंटीकृत रोजगार:** इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में **प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम सौ दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध** करवाया जाता है। यह कार्य मांग के अनुसार दिया जाता है।

- **बेरोजगारी भत्ता:** इसके तहत मांग के **15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता** दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

- **अतिरिक्त रोजगार:**
  - **एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल श्रम आधारित रोजगार** उपलब्ध करवाया जाता है।
    - हालांकि, यह ग्रामीण क्षेत्रों में **सूखे/ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में** ही लागू किया जाता है।
    - वन क्षेत्रों में निवास करने वाले **अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार** को, 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके लिए एक शर्त यह है, कि इन परिवारों के पास FRA अधिनियम, 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा **कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।**
  - **राज्यों के विवेकाधिकार:** राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।

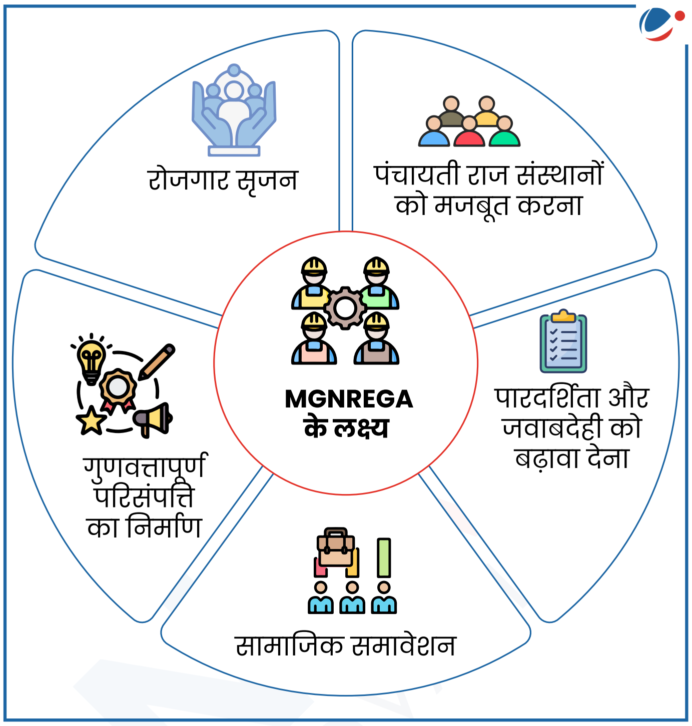

- **दुर्घटना संबंधी मुआवजा**
  - इसके तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना के परिणामस्वरूप **स्थायी दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में पूर्व अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान** किया गया है।
- **महिला सशक्तीकरण:** इस योजना के **कम-से-कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी।
- **अपरिवर्तनीय (गैर-परक्राम्य) प्रावधान (Non-negotiable provisions)**
  - ग्राम पंचायत स्तर पर **श्रम-सामग्री अनुपात 60:40 रहेगा।**
  - बिना किसी ठेकेदार या मशीनरी (अनुमति के अलावा) के **केवल शारीरिक श्रम द्वारा कार्य निष्पादन।**
  - किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर **सभी को समान वेतन।**

मजदूरी करने वाले के अधिकार

- **पीने योग्य स्वच्छ जल**
- **आराम करने की सुविधा**
- **फर्स्ट एड बॉक्स एवं दवा** की उपलब्धता
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली **कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल** की सुविधा (चाइल्ड केयर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सामूहिक रूप से कम-से-कम 5 बच्चों की उपस्थिति आवश्यक है।)

- **मजदूरी का निर्धारण:** इसका निर्धारण **अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचित काम की गुणवत्ता और मजदूरी दरों** के आधार पर किया जाता है।
  - **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) मनरेगा, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मनरेगा कामगारों के लिए राज्य-वार मजदूरी दरों में संशोधन** करता है। यह संशोधन **CPI-AL (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषि श्रम) में परिवर्तन** पर आधारित होता है।
  - इसके अलावा, मजदूरी की **गणना विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार की जाती है।**
  - **मजदूरी का भुगतान:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में ही उसकी मजदूरी का भुगतान** किया जाता है।
  - **कार्य पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान** कर दिया जाता है।
- **ग्रामीण परिवारों के लिए जॉब कार्ड: अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक ग्रामीण परिवार का कोई भी सदस्य, ग्राम पंचायत** में अपने परिवार को पंजीकृत करा सकता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है।
- **सृजित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग:** निर्मित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग GeoMGNREGA के तहत करता है। इसे **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने विकसित किया है।

योजना से जुड़ी मुख्य समस्याएं (ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट)

- **फंड की कमी:** इसकी वजह से विविध महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समय पर मजदूरी देना, सामग्री उपलब्ध कराना आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- **फर्जी जॉब कार्ड जारी करना:** यह वास्तविक लाभार्थियों को उनके बकाए के भुगतान से वंचित करता है और फंड का किसी अन्य उद्देश्य से उपयोग कर लिया जाता है।
- **कम मजदूरी दरें:** अन्य कार्यों में लगे श्रमिकों को अधिक पारिश्रमिक मिलता है।
- **सोशल ऑडिट नहीं किया जाना:** 2020-21 में केवल 14% लक्षित ग्राम पंचायतों का ऑडिट किया गया था।

सिफारिशें (ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति)

- कम मजदूरी दर की शिकायत को दूर करने के लिए **बेस रेट और आधार वर्ष में संशोधन** किए जाने चाहिए।
- **महंगाई से जुड़े बेहतर सूचकांक** का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सूचकांक (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रम) पर्याप्त नहीं है।
- **कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि** की जानी चाहिए।
- परिवार के दिव्यांग व्यक्ति के लिए अलग से **जॉब कार्ड जारी** करना चाहिए।

1.9 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

1.9.1. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojna: PM-AJAY)

संदर्भ

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM-AJAY योजना के तहत राज्यों के संस्थानों में 34 आवासीय छात्रावासों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए **क्षेत्र आधारित विकासात्मक दृष्टिकोण** को साकार करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **आरंभ:** 2021-22
- **निगरानी:** केंद्रीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS)

अन्य उद्देश्य

- **अनुसूचित जाति (SC) समुदायों की गरीबी को कम** करने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।
- अनुसूचित जाति समुदाय के **सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े संकेतकों में सुधार** लाना।
- **अनुसूचित जाति समुदाय की साक्षरता दर में वृद्धि करना।** इसके अलावा, **स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PM-AJAY योजना को केंद्र प्रायोजित तीन योजनाओं का विलय करके शुरू किया गया है। ये तीन योजनाएं हैं;
  - **अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP), 1980 और**
  - **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY), 1980**

- **प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), 2010**

- **योजना के तीन घटक**
  - अनुसूचित जाति बहुल गांवों को **"आदर्श ग्राम"** के रूप में विकसित करना।
    - **पात्रता वाले गांव:** वे सभी गांव जिनकी **कुल आबादी 500 या उससे अधिक** हो और जिनमें **अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक हो।**
    - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ-साथ पर्याप्त अवसंरचना** उपलब्ध कराना है।
    - **ग्राम विकास योजना:** इसका उद्देश्य चयनित गांव को **पांच वर्षों के लिए 'आदर्श ग्राम'** के रूप में विकसित करने के लिए एक **व्यापक, यथार्थवादी और व्यावहारिक** ब्लूप्रिंट तैयार करना है।
    - **वित्त-पोषण:** केंद्र सरकार द्वारा नव चयनित गांवों के लिए प्रति गांव 21 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  - **अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/ राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता**
    - **उद्देश्य:** व्यापक आजीविका परियोजनाओं के माध्यम से लक्षित आबादी की आय में वृद्धि करना।
    - **लाभार्थियों की पात्रता:** योजना के अंतर्गत **लाभार्थियों के लिए आय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।**
      - उन परिवारों को **प्राथमिकता** दी जाती है जिनकी **वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।**
    - **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान:** योजना के लिए कुल बजट आवंटन का 2% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना को लागू करते हैं।
  - **अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षिक संस्थानों में छात्रावास का निर्माण या मरम्मत करना**
    - **उद्देश्य:** छात्रावासों का निर्माण करके अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम और प्रोत्साहित करना।
    - **पात्रता:** उच्चतर शिक्षण संस्थान जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework: NIRF) के साथ-साथ अन्य केंद्रीय संस्थानों और राज्य संस्थानों के अनुसार शीर्ष रैंक वाले हों।

- **निगरानी और कार्यान्वयन**
  - **प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS):** प्रत्येक घटक के लिए रियल टाइम के आधार पर डेटा प्राप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत पोर्टल है।
  - ग्रामीण विकास या सामाजिक विज्ञान या प्रबंधन आदि के क्षेत्र में **किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन करना।**
  - **सामाजिक लेखा-परीक्षा:** ग्राम सभा द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार करना।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

www.visionias.in
8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज
- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी
- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज
- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स
- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां
- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?
- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

2. केंद्र सरकार की मुख्य (फ्लैगशिप) योजनाएं (FLAGSHIP SCHEMES IN FOCUS)

2.1. पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** उद्योगों की **उत्पादकता** और **रोजगार के अवसरों में सुधार** करना।
- **संचालन: आर्थिक परिवर्तन के 7 इंजनों-** रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, जन परिवहन वाले हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना द्वारा संचालित।
- **लाभ: विभागीय अलगावों को कम करना** तथा परियोजनाओं के **समय और लागत** में कमी लाना।
- **कार्य-क्षेत्र:** सामाजिक और भौतिक अवसंरचना वाली परियोजनाओं को शामिल करता है।

अन्य उद्देश्य

- विविध आर्थिक क्षेत्रकों के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना निर्मित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: इस परियोजना की शुरुआत एक परिवर्तनकारी और संधारणीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए** वर्ष 2021 में 100 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की गई थी। इसे **भारत के अवसंरचनात्मक परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए** शुरू किया गया था।
- **डिजिटल मंच:** पीएम गति शक्ति- मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे एवं सड़क सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है।
- **सरकार का समग्र दृष्टिकोण:** मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति या NMP एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी से संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास के लिए **एकीकृत योजना तैयार करना** एवं **आपस में मिलकर उसके कार्यान्वयन** हेतु विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाना है।

2024-25 तक प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य

- 2 लाख कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना।
- रेलवे अपने नेटवर्क के 51% मार्गों पर भीड़ कम करने के साथ ही 1,600 मिलियन टन के कार्गो का परिवहन करेगा।
- डबल एविएशन फुटप्रिंट के तहत 220 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण किया जाएगा जायेगा।
- गैस पाइपलाइन नेटवर्क को डबल किया जाएगा।
- विद्युत लाइनों के 4.52 लाख कि.मी. सर्किट और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 225 GW तक पहुंचाना।
- 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारों का निर्माण करना।

- **भू-मानचित्रण (Geo-mapping)**
    - **रीयल-टाइम अपडेशन के साथ सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का क्रियाशील मानचित्रण (Dynamic Mapping) BiSAG-N** (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स) द्वारा विकसित मानचित्र के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
    - मानचित्र **ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों** पर बनाया गया है और **भारत सरकार (अर्थात मेघराज) के क्लाउड** पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया गया है।
- **डेटा अपडेशन (Data updation)**
    - **आवधिक आधार पर अपने डेटा को अपडेट करने के लिए** अलग-अलग मंत्रालयों को **अलग-अलग लॉगिन आईडी** दी जाती है।
    - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का **लॉजिस्टिक डिवीजन** (MoCI) **सभी हितधारकों** को अपने डेटाबेस को अपडेट करने में सहायता करता है।
- **अंतर-क्षेत्रीय एवं अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** इसमें 14 सामाजिक क्षेत्रक के मंत्रालयों/ विभागों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग, आदि को शामिल किया गया है।

2.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।**
- **मंत्रालय:** केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **प्रकार:** यह **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **मिशन प्रमुख: मिशन का निदेशक** अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा।

अन्य उद्देश्य:

- **शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी** लाना।
- संचारी एवं गैर संचारी **रोगों की रोकथाम एवं उन्हें नियंत्रित** करना।
- **एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **जनसंख्या स्थिरीकरण तथा लैंगिक और जनसांख्यिकीय संतुलन** स्थापित करना।
- **स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को पुनर्जीवित** करना और **आयुष को मुख्यधारा** में लाना।
- भोजन एवं पोषण, स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए **सार्वजनिक सेवाओं** तथा लोक स्वास्थ्य देखभाल तक **सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित** करना।
- **स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 2 उप-योजनाएं इस प्रकार हैं:**
  - **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM):** इसके तहत शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना और सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM):** इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना और सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)**
  - **कवरेज:** सभी राज्यों की राजधानियाँ, जिला मुख्यालय और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहर/ कस्बें।
  - **विकेन्द्रीकरण :** आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय एवं स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित।
  - **बाहरी सहयोगी: एशियाई विकास बैंक (ADB)** द्वारा कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
  - **सेवा वितरण अवसंरचना:** शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) और रेफरल अस्पताल और आउटरीच सेवाएं।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**
  - मिशन का जोर सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के साथ **पूरी तरह कार्यात्मक, समुदाय के स्वामित्व वाली, विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली** स्थापित करने पर है।
  - यह **जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे** स्वास्थ्य के निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
- **राज्यों को प्रोत्साहन:** राज्यों का वित्त-पोषण **राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP)** पर आधारित है।
  - ऐसे राज्य जो IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या और अनुपात जैसे **प्रमुख परिणामों/ आउटपुट के संबंध में बेहतर प्रगति को दर्शाते हैं वे प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।**
- **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Electronic Vaccine Intelligence Network: e-VIN):** यह देश भर में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के **स्टॉक और भंडारण के तापमान की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम** करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, एक मजबूत आईटी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को एक साथ लाता है।
- **प्रमुख कार्यान्वयन निकाय:**
  - **तकनीकी सहायता के लिए शीर्ष निकाय:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC)
  - **प्रशिक्षण के लिए शीर्ष निकाय:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW)
  - **राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निर्देश:** ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मिशन संचालन समूह (MSG) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

NHM के तहत प्रमुख पहलें

- **जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)**
  - यह स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए **एक मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।**
  - **यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 100% केंद्र प्रायोजित योजना है।**

- 2005 में शुरुआत
- **आशा कर्मी** सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रक और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
- **आशा कर्मी** स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करती हैं।
- इसके अंतर्गत 10 सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- प्रत्येक संस्थागत प्रसव के लिए आशा कर्मी और माता को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

आशा कर्मी

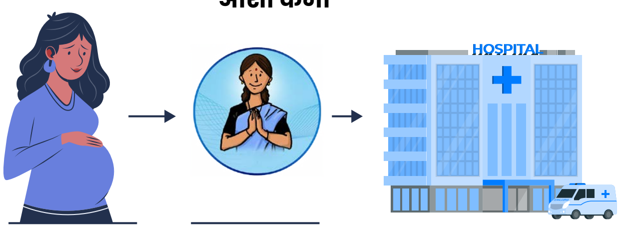

जननी सुरक्षा योजना (JSY) के लाभार्थी

निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य* – सभी गर्भवती महिलाएं, जो संस्थागत प्रसव कराती हैं।

उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य – संस्थागत प्रसव के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली महिलाएं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, दो जीवित जन्मों तक

***कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्य**

प्रोत्साहन राशि	माता	आशा कर्मी
निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	1400 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	1000 रु.	400 रु.
उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	700 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	600 रु.	400 रु.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

- **उद्देश्य:** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को **बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना** तथा संस्थागत प्रसव में होने वाले अधिक खर्च की समस्या का समाधान करना।
- यह कार्यक्रम उन गर्भवती महिलाओं को **'बिना खर्च वाले प्रसव'** की सुविधा प्रदान करता है जो अपने प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

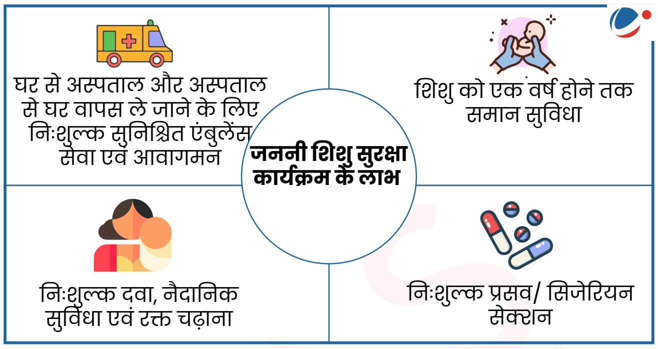

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK)**
  - **उद्देश्य:** 4'D' - बच्चों में जन्म के समय किसी प्रकार के विकार (Defects at birth), बीमारी (Diseases), न्यूनता (Deficiencies) और विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट (Development Delays) की **शुरुआती तौर पर पहचान करना** तथा इस दिशा में शुरुआती हस्तक्षेप करना।
  - **अपेक्षित लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष तक आयु समूह के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के बड़े बच्चे, जो सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/ छात्रा हैं।
  - बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में **30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।** इसके तहत स्क्रीनिंग, **यथाशीघ्र निदान और निःशुल्क प्रबंधन** परिकल्पित है।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram: RKSK)**
  - **लाभार्थी: 10-19 वर्ष** के आयु-वर्ग के किशोर।
  - यह कार्यक्रम, **भारत में सभी किशोरों को** उनके स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने के द्वारा **अपनी पूरी क्षमता को साकार करने** में सक्षम बनाता है।
  - **विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच** की जाती है। इसके उपरांत बीमारियों, विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs), का शुरुआती दौर में पता लगाने हेतु उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में भेजा जाता है।
  - **समुदाय-आधारित हस्तक्षेप:** इसके तहत **सहकर्मी शिक्षक (साथिया)** सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे।
  - **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक को सहयोग प्रदान करने हेतु, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा सूचित तरीके (Informed Manner) से अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु साथिया रिसोर्स किट उपलब्ध कराई जाएगी।
  - MOHFW ने **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति** विकसित की है।
  - **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS):** इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली **किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन** प्रदान किये जाते हैं।

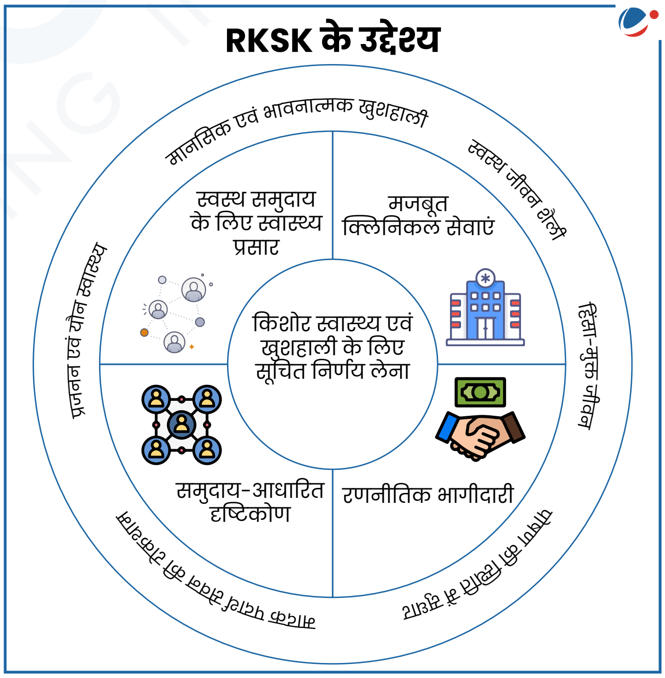

- **RMNCH+A (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य):** इसका उद्देश्य **भारत में बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार लाने के लिए उनके पूरे जीवन-काल को योजना** के दायरे में लाना है। रणनीति के तहत **"प्लस (+)" निम्नलिखित पर केंद्रित है:**
  - कार्यक्रम की समग्र रणनीति के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में **किशोरावस्था को एक विशिष्ट चरण के रूप में शामिल** करना।
  - **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य** को प्रजनन स्वास्थ्य तथा अन्य घटकों जैसे कि- परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, एच.आई.वी., जेंडर और गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीकों से जोड़ना।
  - **घर की एवं समुदाय-आधारित सेवाओं को** सुविधा केंद्र-आधारित सेवाओं **से जोड़ना**।
  - स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अलग-अलग स्तरों के बीच **लिंकेज, रेफरल और काउंटर-रेफरल सुनिश्चित** करना। ऐसा करने का उद्देश्य निरंतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना तथा समग्र स्वास्थ्य देखभाल परिणामों (आउटकम्स) और प्रभाव के स्तर पर एक योगात्मक/ सहयोग आधारित प्रभाव लाना।

- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme: UIP)**
  - यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा **100% वित्त-पोषित है।**
  - इस कार्यक्रम को 1985 में आरंभ किया गया था। यह **विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक** है।

सरकार द्वारा जारी की गई वैक्सीन

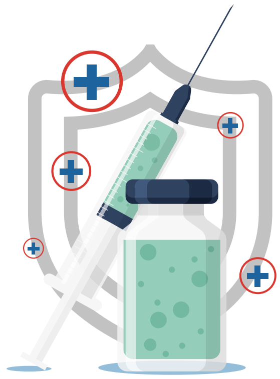

- डिप्थीरिया वैक्सीन
- परट्यूसिस वैक्सीन
- टिटनेस वैक्सीन
- पोलियो वैक्सीन
- मीजल्स (खसरा) वैक्सीन
- हेपेटाइटिस बी वैक्सीन
- पेंटावैलेंट वैक्सीन
- रोटावायरस वैक्सीन
- रुबेला वैक्सीन
- एडल्ट जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) वैक्सीन
- जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन
- बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (bOPV)
- मीजल्स (खसरा)-रुबेला वैक्सीन (MR)
- इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV)

- **सघन मिशन इंद्रधनुष-4.0 (Intensified Mission Indradhanush: IMI4.0)**
  - **पृष्ठभूमि:** 2014 में, भारत सरकार ने नियमित टीकाकरण कवरेज में सुधार करने के उद्देश्य से एक प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष (MI) शुरू किया था।
  - इसके बाद **मिशन इंद्रधनुष-2 (MI2) और मिशन इंद्रधनुष-3 (MI3)** भी आरंभ किए गए थे।
  - **सघन मिशन इंद्रधनुष-4.0 (IMI4.0) का उद्देश्य कोविड-19 महामारी** के कारण टीकाकरण में **आए व्यवधान की वजह से टीकाकरण में तेजी लाना** तथा छूट गए बच्चों का टीकाकरण करना है।
- **संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Communicable Disease Control Programme)**
  - **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP):** यह कार्यक्रम मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फैटिक फाइलेरियासिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है।
  - **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP):** इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के निर्धारित वर्ष (2030) से पांच साल पहले अर्थात 2025 तक भारत में रणनीतिक रूप से क्षय रोग/ तपेदिक रोग (TB) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।
    - **निक्षय पोषण योजना (NPY):** इस योजना के तहत TB रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
    - TB के प्रत्येक रोगी को उपचार के दौरान **500/- रुपये प्रति माह नकद या वस्तु के रूप में सहायता प्रदान** की जाती है। यह सहायता राशि लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में **प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT)** के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
- **राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP):** इसका उद्देश्य आबादी के सभी वर्गों के कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
- **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP):** इसका उद्देश्य महामारी का रूप धारण करने वाली बीमारियों के खिलाफ **सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत** करना है।
- **गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Non Communicable Disease Control Programmes)**
  - कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)
  - राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI)
  - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
  - बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)
  - राष्ट्रीय प्रशामक (Palliative) देखभाल कार्यक्रम (NPPC)
  - राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCD)
  - राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)
  - जलने से जख्मी होने की घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPMBI)
  - राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (NOHP)

3. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए

Q1. नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन की योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
2. इस योजना का उद्देश्य 2027-28 तक 10,000 नए FPOs का गठन और संवर्धन करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q2. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) का मुख्य उद्देश्य है:

1. खाद्य तेलों के लिए आयात पर निर्भरता को बढ़ाना।
2. 2025-26 तक ऑयल पाम की खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी फसलें शामिल हैं?

1. सभी अनाज और मिलेट्स
2. तिलहन

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q4. 'पीएम किसान' योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) इसका उद्देश्य सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की विभिन्न इनपुट और घरेलू जरूरतों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
(b) यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
(c) सभी भूमि धारक किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।
(d) पात्र लाभार्थियों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

Q5. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) को लागू करने के लिए कौन-सी एजेंसी जिम्मेदार है?

(a) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)
(b) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
(c) फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI)
(d) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

Q6. निम्नलिखित में से किसके लिए प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत PMBJP केंद्रों को फर्नीचर और IT उपकरणों के लिए 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त एकमुश्त विशेष अनुदान दिया जाएगा?

(a) महिलाएं
(b) दिव्यांग
(c) नीति आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र
(d) उपर्युक्त सभी

Q7. हाल ही में सुर्ख़ियों में रहा उन्नति, 2024 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) कश्मीर के युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करना
(b) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास
(c) आदिवासी महिलाओं में नेतृत्व कौशल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q8. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. अग्रिम प्राधिकार धारक
2. निर्यात उन्मुख इकाइयां
3. विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां

उपर्युक्त में से कितने इस योजना के पात्र लाभार्थी हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीनों
(d) कोई नहीं

Q9. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन योजना (EMPS), 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना बैटरी क्षमता के आधार पर दोपहिया और तिपहिया, दोनों के लिए मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है।
2. इस योजना के तहत वे वाहन पात्र हैं, जो केवल उन्नत बैटरी से युक्त हैं।
3. इस योजना के तहत सब्सिडी केवल कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तक ही सीमित है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

Q10. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से मिशन का/के प्राथमिक फोकस क्षेत्र है/हैं?

1. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना
2. इलेक्ट्रोलिसिस आधारित हाइड्रोजन उत्पादन का विकास करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q11. 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना के तहत, किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा उगाई गई किसी भी फसल पर 2% बीमा प्रीमियम की एक समान दर का भुगतान करना होगा।
2. यह योजना चक्रवात और बेमौसम बारिश के कारण फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q12. 'पीएम गति शक्ति योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(1) पीएम गति शक्ति योजना-राष्ट्रीय योजना के रूप में 2022 में शुरू की गई थी।

(2) पीएम गति शक्ति योजना आर्थिक परिवर्तन के सात इंजनों (सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना) से संबंधित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q13. पीएम किसान भारत में किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. पीएम किसान के तहत लाभों का हस्तांतरण भूमि रिकॉर्ड प्रस्तुत करने पर निर्भर है।
2. यह योजना सभी लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q14. निम्नलिखित में से कौन-सा स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) अक्षय ऊर्जा उत्पादकों के लिए सब्सिडी योजना
(b) हाइड्रोजन ईंधन बैटरियों के निर्माण के लिए क्षमता निर्माण पहल
(c) इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम
(d) हाइड्रोजन परिवहन के लिए अवसंरचना विकास कार्यक्रम

Q15. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) यह सभी घरों में LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना है
(b) इस योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था
(c) सरकार ने इस योजना के तहत 5 करोड़ LPG कनेक्शन का लक्ष्य रखा था
(d) इस योजना का उद्देश्य खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है

Q16. जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राज्य स्वास्थ्य विभाग का एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है।
2. इसका उद्देश्य सभी महिलाओं में वृद्धावस्था मृत्यु दर को कम करना है।
3. इसका उद्देश्य निर्धन गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है।
4. इसका उद्देश्य एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं:

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चारों

Q17. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की एक पहल है।
2. ONDC का लक्ष्य एक ऐसी एकीकृत डिजिटल कॉमर्स अवसंरचना तैयार करना है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को अलग-अलग प्लेटफार्म्स से जोड़े।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q18. निम्नलिखित में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" से लाभ उठाने के लिए पात्र हैं?

(a) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य।
(b) गरीबी की रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के वयस्क सदस्य।
(c) सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य।
(d) किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य।

Q19. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PM-AJAY 2021-22 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँव 'आदर्श ग्राम' घटक के लिए योजना के तहत पात्र हैं।
3. इस योजना में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) केवल 1

Q20. हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अदिति योजना का उद्देश्य है:

(a) सशस्त्र बलों में महिलाओं को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना
(b) रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास की सुविधा प्रदान करना
(c) महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs की भागीदारी को बढ़ावा देना
(d) सैन्य कर्मियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

उत्तर

1	2	3	4
उत्तर: C	**उत्तर: B**	**उत्तर: C**	**उत्तर: C**

5	6	7	8
उत्तर: c	**उत्तर: D**	**उत्तर: B**	**उत्तर: C**

9	10	11	12
उत्तर: A	**उत्तर: C**	**उत्तर: B**	**उत्तर: B**

13	14	15	16
उत्तर: C	**उत्तर: C**	**उत्तर: B**	**उत्तर: A**

17	18	19	20
उत्तर: C	**उत्तर: D**	**उत्तर: A**	**उत्तर: B**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Vision Publication

IGNITING PASSION FOR KNOWLEDGE

In a world where knowledge is the gateway to countless opportunities, having access to the right resources is essential. VisionIAS proudly presents Vision Publication, your trusted source for simplified, high-quality, and comprehensive learning materials. Whether you're feeding your curiosity or preparing for competitive exams, Vision Publication equips you with the knowledge and insights to excel.

Objectives of Vision Publication

Empower Learners: Deliver comprehensive study materials that cover a wide range of subjects, including but not limited to the UPSC exam.

Foster In-Depth Understanding: Provide subject-specific books that explore History, Geography, Polity, Economics, Science, and more.

Stay Current: Offer up-to-date resources, including current affairs magazines and topic-specific compilations that keep you informed.

Enhance Exam Preparedness: Equip readers with exam insights, including trend analysis, expert strategies, and practical tips.

Support Last-Minute Prep: Provide quick notes, last-minute guides, and comprehensive revision tools to ensure you're well-prepared.

Promote Intellectual Expression: Offer a platform for authors to publish their works, contributing to a diverse and vibrant body of knowledge.

Who is Vision Publication for?

Designed for lifelong learners, UPSC aspirants, educators, and anyone passionate about intellectual growth and academic excellence.

Key Elements of Vision Publication

- Comprehensive Study Guides: Books that cover a broad spectrum of subjects, ensuring thorough exploration and understanding.
- Expertly Crafted Content: Each publication undergoes meticulous review to maintain the highest standards of quality and accuracy.
- Interactive Learning: Engaging formats and practical examples that make complex subjects accessible and enjoyable.
- Cutting-Edge Insights: Latest trends, analyses, and strategies to help you stay ahead, whether in competitive exams or general knowledge pursuits.
- Accessible Knowledge: Available in print format, our materials are designed to be easily accessible to all learners.
- Author Collaboration: A platform for aspiring and established authors to publish their works, enriching the learning experience with diverse perspectives.

Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
— Nelson Mandela

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग

SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)

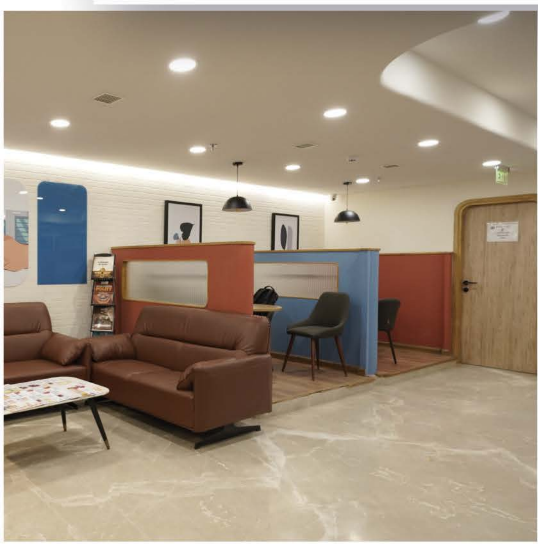

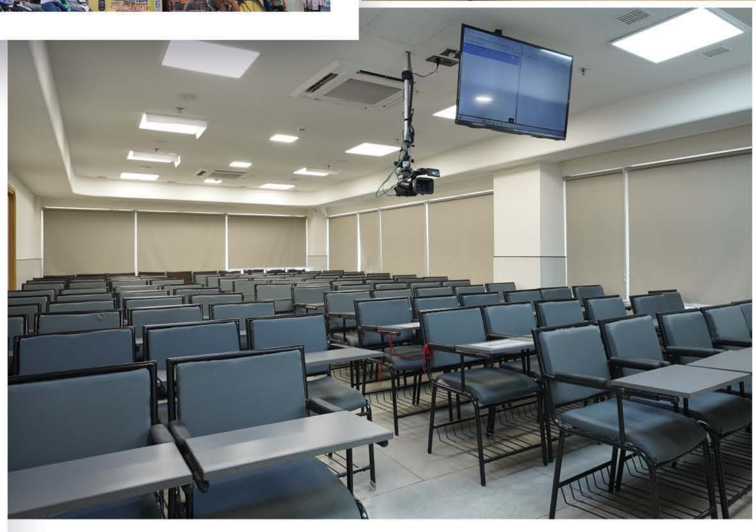

MAIN BUILDING WITH ENTRY/EXIT MARK

RECEPTION AREA

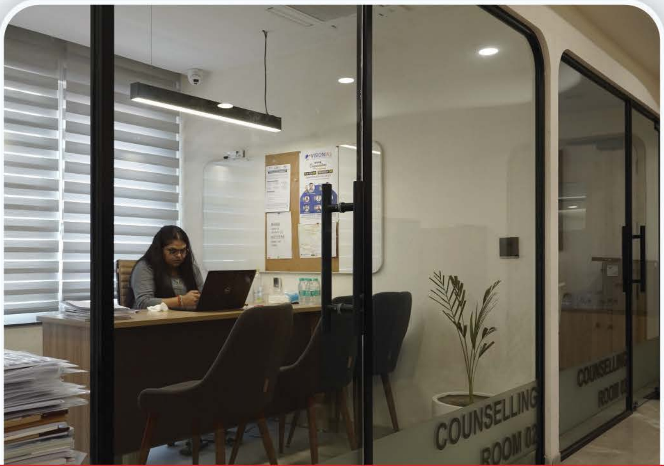

COUNSELING/MENTORING

FIRE EXIT PLAN

CLASSROOMS (CHAIRS/ENTRY/EXIT)

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- **CSAT** क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, **PT**365, **Mains**365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- **GS** मेंस एडवांस कोर्स

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन

ASHOK DUBEY SIR

MRITYUNJAY SIR

RAJEEV RANJAN SIR

SUNIL KUMAR SINGH SIR

हिंदी माध्यम टॉपर

1 AIR
Aditya Srivastava

53 AIR
मोहन लाल

136 AIR
अर्पित कुमार

1 AIR
Shubham Kumar
UPSC CSE 2020

454 AIR
Bajarang Prasad
UPSC CSE 2022

468 AIR
Vikas Gupta
UPSC CSE 2022

605 AIR
Jatin Parashar
UPSC CSE 2022

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN | /VISION_IAS | /C/VISIONIASDELHI | VISION_IAS | /VISIONIAS_UPSC

AHMEDABAD BENGALURU BHOPAL CHANDIGARH DELHI JAIPUR JODHPUR GUWAHATI HYDERABAD LUCKNOW PRAYAGRAJ PUNE RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
79
in TOP 100 Selections in CSE 2023
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Aditya Srivastava
2 AIR Animesh Pradhan
5 AIR Ruhani
6 AIR Srishti Dabas
7 AIR Anmol Rathore
9 AIR Nausheen
10 AIR Aishwaryam Prajapati
हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में
हिंदी माध्यम टॉपर
53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर
UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें
53 AIR मोहन लाल
TOPPERS' TALK
AIR 136 अर्पित कुमार
TOPPERS' TALK
विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न
मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visionias hindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ़
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची